

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 333]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अगस्त 2015—श्रावण 28, शक 1937

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश में शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में  
प्रवेश के लिये नियम-2015

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2015

क्रमांक एफ-5-116-2015-1-पचपन.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम और स्नातक दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

#### नियम

1. **शीर्षक**— ये नियम मध्यप्रदेश मेडिकल तथा डेंटल स्नातक प्रवेश नियम 2015 कहलायेंगे। ये नियम सत्र 2015-16 के लिये लागू होंगे।
2. **परिभाषायें** — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो—
  - 2.1 "बोर्ड" से अभिप्रेत हैं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, दिल्ली।
  - 2.2 "महाविद्यालय" से अभिप्रेत हैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय।
  - 2.3 "प्रवेश परीक्षा 2015" से अभिप्रेत है वर्ष 2015 में बोर्ड द्वारा आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा; एआईपीएमटी 2015।
  - 2.4 "अर्हता" परीक्षा से अभिप्रेत है, कि वर्ष 2015 में प्रवेश की पात्रता हेतु कम से कम 10+2 या उसके समकक्ष परीक्षा।

- 2.5 "राज्य शासन" से अभिप्रेत हैं मध्यप्रदेश शासन ।
- 2.6 "श्रेणी" से अभिप्रेत हैं मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन किमिलेयर) तथा अनारक्षित श्रेणी ।
- 2.7 "प्रवर्ग" से अभिप्रेत हैं मिलेट्री पर्सन (एम.पी.), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), महिला जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित किया गया है तथा विकलांग (पी एच) जैसा कि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित है ।
- 2.8 "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनका वर्ष 2015-16 की काउंसलिंग में सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है ।
- 2.9 "एम0सी0आई0" से अभिप्रेत है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ।
- 2.10 "डी0सी0आई0" से अभिप्रेत है, डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया ।
- 2.11 "नियम" से अभिप्रेत हैं मध्यप्रदेश मेडिकल तथा डेन्टल स्नातक प्रवेश नियम-2015 ।

### 3. सामान्य-

- 3.1 एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश एम.सी.आई./डी.सी.आई./विश्वविद्यालय/राज्य शासन तथा भारत सरकार के प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश के समय प्रभावशील नियमों-विनियमों तथा समय-समय पर इनमें किये गये संशोधनों के अधीन होंगे ।
- 3.2 ये नियम निम्नलिखित पाठ्यक्रमों एवं महाविद्यालयों में सीट आवंटन एवं प्रवेश के लिये सभी अभ्यर्थियों पर लागू होंगे :-
- अ. एम.बी.बी.एस.कोर्स -शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर जबलपुर, रीवा एवं सागर ।
- ब. बी.डी.एस. कोर्स - शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर ।
- 3.3 (अ) अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड को प्रेषित किये गये ऑन लाईन आवेदन पत्र के साथ जो कलर फोटो संलग्न किये हैं वही फोटो स्कूटनी स्थल एवं आवंटित संस्था में प्रवेश के समय लेकर उपस्थित हों । अभ्यर्थी यही फोटो की 30 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखे जिसका उपयोग समय-समय पर प्रवेशित महाविद्यालय में किया जा सके ।

बोर्ड द्वारा फोटोग्राफ के संबंध में निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित है जिनका पालन सुनिश्चित किया जावे:-

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे सफेद बैकग्राउंड वाले पासपोर्ट आकार के 30 फोटोग्राफ तथा पोस्टकार्ड आकार (4"x 6") का एक फोटो बनवा लें। पासपोर्ट आकार के फोटो का प्रयोग काउंसलिंग/प्रवेश के लिए किया जाएगा। पोस्टकार्ड आकार का फोटो संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। फोटो चिपकाने से पूर्व उम्मीदवार फोटोग्राफ की पिछली ओर केवल बॉल पॉइंट पेन से अपना नाम, आवेदन पत्र

संख्या और मेरिट नम्बर अवश्य लिखेंगे। फोटोग्राफ के लिए निर्दिष्ट स्थान पर सफेद बैकग्राउंड सहित अनुप्रमाणित नवीनतम अच्छी क्वालिटी का रंगीन स्टूडियो फोटोग्राफ जो AIPMT 2015 परीक्षा के दौरान प्रयोग किया गया हो को चिपकाए जाए। फोटोग्राफ 01.12.2014 को अथवा उसके बाद लिया गया होना चाहिए जिसमें नीचे दर्शाए अनुसार उम्मीदवार के नाम के साथ फोटोग्राफ लिए जाने की

तारीख स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। फोटोग्राफ में टोपी अथवा धूप का चश्मा नहीं पहना हुआ होना चाहिए।

नज़र के चश्मे की अनुमति है, यदि उसे नियमित रूप से पहना जाता है। पोलारॉइड और कम्प्यूटर से बनाए गए फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं हैं। फोटोग्राफों को निर्दिष्ट स्थान पर गोंद/एडहेसिव से भली-भांति चिपकाया जाना चाहिए और उन्हें पिन से नहीं लगाया जाना चाहिए/स्टेपल नहीं किया जाना चाहिए। इन अनुदेशों को पालन न करने वाले अथवा अस्पष्ट फोटो वाले आवेदनों (प्रारूप-1 में प्रस्तुत आवेदन-पत्र) को अस्वीकृत किया जायेगा।

उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि यदि यह पाया गया कि चिपकाया गया फोटोग्राफ बनाया गया है अर्थात् वह सही आकार का नहीं है अथवा हाथ से तैयार किया गया या कम्प्यूटर द्वारा निर्मित है, तो उम्मीदवार का सीट आवंटन/प्रवेश अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसे अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना माना जाएगा तथा इस पर तदनुसार अनुचित साधनों के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

- ब, फोटो में भिन्नता पाई जाने की स्थिति में अभ्यर्थी सीट आवंटन तथा प्रवेश का हकदार नहीं होगा।
- स, अभ्यर्थी द्वारा स्कूटनी व प्रवेश के समय मांगी गई जानकारी सही सही दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा, स्कूटनी तथा प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थी अपने संपूर्ण हस्ताक्षर हिन्दी एवं अंग्रेजी में करेंगे तथा सभी स्थानों पर एकसे हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट आवंटन/प्रवेश का हकदार नहीं होगा।

- 3.4 यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में प्रविष्टि के समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय अथवा प्रवेश के समय एवं अध्ययन के दौरान कोई जानकारी छुपाई है एवं/अथवा असत्य जानकारी दी है तो दिया गया प्रवेश कभी भी महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा एवं एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई जायेगी।
- 3.5 छात्र को दुराचरण, अनुशासनहीनता, लगातार बिना सूचना के एक माह से अधिक अनुपस्थित रहने का दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है।
- 3.6 अभ्यर्थी द्वारा ए.आई.पी.एम.टी. 2015 परीक्षा के आवेदन फार्म में मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी से संबंधित दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा, जिसके लिए ए.आई.पी.एम.टी. 2015 परीक्षा का एम0पी0 स्कोर कार्ड को ही मान्य किया जायेगा। एम0पी0 स्कोर कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर अभ्यर्थी को स्थानीय निवासी के संबंध में उपलब्ध सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
4. सीटों की उपलब्धता – महाविद्यालयवार एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटें तालिका 1.1, 1.2 एवं 1.3 में दर्शाई गई है। शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों, शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में राज्य कोटे की स्वीकृत सीटें राज्य शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप भरी जाएगी। उन्हें ए.आई.पी.एम.टी. 2015 के योग्य चयनित अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से भरा जावेगा।

सीटों की संख्या परिवर्तनीय है।

- 4.1 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की गई है, जिनके लिए आवंटन शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. /बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों के लिये ए.आई.पी.एम.टी. 2015 के आधार पर भारत शासन के स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जायेगा।
- 4.2 भारत सरकार के नामांकित अभ्यर्थियों के लिये सत्ताईस सीटें शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में तथा एक सीटें स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आरक्षित की गई है (परिशिष्ट- 11, 12 देखें)। अनारक्षित श्रेणी की एक सीटें स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय,

भोपाल में लक्षद्वीप के विद्यार्थियों के लिये आरक्षित रखी गई है। (परिशिष्ट-13 एवं तालिका 1.1 देखें)

4.3 भारत सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों को प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है तथापि उनके पास नियम 6.2 तथा 6.3 के अनुरूप शैक्षणिक एवं आयु संबंधी योग्यता होना आवश्यक है।

#### 5. आरक्षण—

5.1 20 प्रतिशत सीटें म.प्र.राज्य के अनुसूचित जनजाति, 16 प्रतिशत सीटें म.प्र. राज्य के अनुसूचित जाति तथा 14 प्रतिशत सीटें म.प्र. राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये आरक्षित की गई हैं एवं शेष सीटें अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध रहेगी।

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी से विहित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्थाई जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा। प्रमाण पत्र पर प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं सील होना आवश्यक है अन्यथा प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। (प्रारूप 4 अ, ब, जो भी लागू हो)

5.2 ऐसे विकलांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं तथा जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनारक्षित श्रेणी के हैं, उनके लिये प्रत्येक श्रेणी में तीन (3%) प्रतिशत सीटें एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षित की गई है। यह आरक्षण क्षैतिज (हारिजान्टल) होगा।

5.3 एम0सी0आई0 की अधिसूचना क्रमांक सं.भा.आ.प.-34(41) 2008—मेडि./54469, दिनांक 25 मार्च, 2009 के अनुसार ऐसी सीटें पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जावेगी। 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत से कम के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे। उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटें) संबंधित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों से ही भरी जाएगी।

5.4 इन आरक्षित सीटों पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण पत्र एवं जिला मण्डल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र स्कूटनी के समय प्रस्तुत करना

होंगे । दोनों ही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उन्हें सीट आवंटन की पात्रता नहीं होगी। पात्रता प्रमाण-पत्र की तिथि स्कूटनी की तिथि से तीन माह से अधिक पूर्व की नहीं होना चाहिए।

नोट:— विकलांग अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिये भारत सरकार, श्रम मंत्रालय विकलांग पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी करने की तिथि विकलांगता का प्रतिशत इत्यादि जानकारी आवश्यक होगी । अतः इस प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से बनवा लें ।

5.5 एम.सी.आई. द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार निम्नलिखित विकलांगों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी:—

(अ) हाथ/हाथों से विकलांग

(ब) दृष्टि से विकलांग

(स) बहरापन

(द) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता ।

5.6 एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मिलेट्री पर्सन प्रवर्ग (एम.पी.) में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिये प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी में तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज (हारिजान्टल) होगा ।

5.6— अ) मिलेट्री पर्सन प्रवर्ग के अंतर्गत उन सैनिकों (एम.पी.) के पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटें आरक्षित है, जो सैनिक के रूप में सेवा कर चुके हैं, जिनमें भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रति रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी सम्मिलित है जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गये हो।

5.6— ब) भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है ।

5.6.. स) मिलिट्री पर्सन प्रवर्ग के अंतर्गत सेवा के दौरान मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप -3 भाग (अ) अनुसार प्रस्तुत करना होगा । मिलेट्री पर्सन प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक के पुत्र/पुत्रियों को

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र प्रारूप 3-भाग (अ) अनुसार तथा अपने माता/पिता के मध्यप्रदेश में बसने संबंधी प्रमाण पत्र प्रारूप 3- भाग (स) अनुसार संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

#### अथवा

अभ्यर्थी ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी है एवं मध्य प्रदेश राज्य में प्रतिरक्षा कर्मचारी के रूप में पदस्थ है अथवा मध्यप्रदेश के बाहर प्रतिरक्षा कर्मचारी के रूप में पदस्थ हैं। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी एवं प्रतिरक्षा कर्मचारी होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रारूप 3- भाग (ब) अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

#### अथवा

वह प्रवेश परीक्षा के वर्ष की पहली जनवरी से पूर्व मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी— मिलेट्री पर्सन प्रवर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5.7 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी के मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री या नाति/नातिनों के लिये एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी में तीन प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। यह आरक्षण क्षैतिज (हारिजान्टल) होगा।

5.8-अ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह व्यक्ति होगा जिसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर के कार्यालय में संधारित सूची में पंजीकृत हो।

5.8-ब) जो अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग के अधीन प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप -5) अन्य कोई दस्तावेज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग का होने के लिये वैध प्रमाण पत्र नहीं माना जावेगा।

- 5.9 एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित की जायेगी । यह आरक्षण क्षैतिज (हारिजान्टल) होगा ।
- 5.10 ऐसे अभ्यर्थी जो किसी प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग) के अंतर्गत प्रवेश के लिये इच्छुक नहीं हैं, वे अपनी स्वयं के श्रेणी के ओपन-क्लास के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। मिलेट्री पर्सन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग प्रवर्ग के अभ्यर्थी जिन्हें उनकी मेरिट के आधार पर अपने प्रवर्ग में सीट आवंटित नहीं होती है, ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर उनकी श्रेणी (एस.टी., एस.सी, ओ.बी.सी, यू.आर. ) के ओपन श्रेणी में मेरिट के आधार पर पात्रता होगी ।
- 5.11 अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अपने श्रेणी के अधीन केवल एक आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक प्रवर्ग के लिये पात्र है उनके लिये प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिये निर्धारित ऑनलाईन पंजीयन की अंतिम तिथि के पश्चात् आवंटन के पूर्व मिलेट्री पर्सन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग के पंजीकृत अभ्यर्थियों की पृथक पृथक मेरिट सूचियां एम0पी0 ऑनलाईन की वेबसाइट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) में प्रदर्शित की जायेगी । इन प्रवर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को अपना विकल्प परिवर्तित करने का एक अवसर उपलब्ध रहेगा । जिसमें वे अपना विकल्प उक्त प्रवर्ग में से किसी एक के लिये परिवर्तित कर सकेगा , इस हेतु 02 दिवस का समय उपलब्ध रहेगा , इसके पश्चात् परिवर्तन संभव नहीं रहेगा। अभ्यर्थी द्वारा विकल्प न देने की स्थिति में जिस प्रवर्ग में अभ्यर्थी की उच्चतम मेरिट होगी उसी प्रवर्ग में उसे आवंटन हेतु पात्रता होगी।

## 6. पात्रता :-

- 6.1 अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो।  
मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-1 भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार (परिशिष्ट-17) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी-

- i) आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो।
- ii) आवेदक मध्यप्रदेश में विगत कम से कम 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो।



- iii) आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अन्तर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम/मण्डल के ऐसे कार्यालय, जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित है, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मापदण्ड क्रमांक (1.1) अथवा (1.2) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा।
- iv) आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं का मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।
- v) आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।
- vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हो। इसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की जायेगी। इस कण्डिका में परिजन से तात्पर्य है, संबंधित भूतपूर्व सैनिक की पत्नी अथवा पति, या माता अथवा पिता।

**स्पष्टीकरण-1** . मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक सी 3-7/2013/1/3 भोपाल दिनांक 20 मई 2015 के अनुसार (परिशिष्ट-18) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र कलेक्टर या संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हो (प्रारूप-8) प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी होने का दिनांक तथा मोहर और जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम होना चाहिये।

**स्पष्टीकरण-2.** किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ती का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक तथा नियंत्रक हो, अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार का पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का प्राकृतिक अभिभावक माना जायेगा। अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण-3** मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/22/2010/3/1 दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार 28/10/2010 के पश्चात् वैध प्रारूप पर ही स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा परन्तु दिनांक 28/10/2010 के पूर्व के वास्तविक एवं

मूल निवासी वैध प्रमाण-पत्र जिन्हें मध्यप्रदेश राज्य के जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, को भी मान्य किया जावेगा ।

- (i) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल की 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा (अर्हकारी परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी/बायोटैक्नोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय अलग-अलग उत्तीर्ण करते हुये संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनारक्षित श्रेणी के तथा 40 प्रतिशत अंक आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे । आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में सीट आवंटन प्राप्त करने हेतु भी 12वीं परीक्षा (अर्हकारी परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी/बायोटैक्नोलॉजी विषय पृथक-पृथक उत्तीर्ण करते हुए संयुक्तरूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

ऐसे सभी श्रेणी तथा प्रवर्गों के अभ्यर्थियों का 10+2 प्रणाली की अर्हकारी परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

#### अश्वा

अभ्यर्थियों के द्वारा मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष या उच्च परीक्षा उपरोक्तानुसार भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी/बायोटैक्नोलॉजी विषय लेकर उत्तीर्ण की हो । विदेशी नागरिक यदि प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी पात्रता पर, संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा प्रदान किये गए समानता प्रमाण पत्र और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के आधार पर ही विचार किया जावेगा ।

ऐसे सभी श्रेणी तथा प्रवर्गों के अभ्यर्थियों को समकक्ष अर्हकारी (10+2) परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

- 6.2 (ii) पात्रता हेतु अनारक्षित अभ्यर्थी को एआईपीएमटी-2015 में कुल अंकों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को कुल अंकों में से न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक हैं ।

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में सीट आवंटन प्राप्त करने हेतु एआईपीएमटी 2015 में कुल अंकों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक हैं ।

6.2 (iii) विकलांग अभ्यर्थियों हेतु एआईपीएमटी प्रवेश परीक्षा 2015 में अनारक्षित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कुल अंकों में से न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक एवं आरक्षित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कुल अंकों में से 40 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य होंगे ।

6.3 (i) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी, जब तक कि वह प्रवेश परीक्षा वर्ष 2015 की 31 दिसंबर को अथवा उसके पूर्व 17 वर्ष की आयु पूर्ण न कर चुका हो ।

6.3 (ii) ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनकी आयु प्रवेश परीक्षा वर्ष 2015की 31 दिसंबर को 25 वर्ष से अधिक हो चुकी हो उन्हें प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । लेकिन आरक्षित श्रेणी (एस.सी./एस.टी./ओबीसी ) के समस्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी ।

अभ्यर्थी का जन्म निम्नानुसार तिथियों के मध्य होना चाहिए :-

क. 01.01.1986 से 01.01.1999(आरक्षित श्रेणी – एस.सी./एस.टी./ओबीसी )

ख. 01.01.1991से 01.01.1999 (अनारक्षित श्रेणी)

अभ्यर्थी को ऊपर बताये अनुसार आयु की गणना करने के लिये हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के प्रमाण पत्र में अथवा उस परीक्षा की अंक सूची में अंकित जन्म तारीख को ही प्रमाणित दस्तावेजी सबूत माना जावेगा ।

ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों में जिन्होंने अपनी निवासी संबंधी अपेक्षाएँ पूरी कर ली हैं, लेकिन जिन्होंने अपने माता-पिता के साथ विदेश में रहकर कोई ऐसी परीक्षा पास की है जिसे मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश के हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित किया हो, तो उनकी आयु के सबूत के समर्थन में तत्संबंधी साक्ष्य पर विचार किया जा सकेगा ।

7. फीस संरचना—प्रत्येक अभ्यर्थी को (तालिका-4) में दर्शाये अनुसार फीस नियमित रूप से जमा करनी होगी ।

8 प्रतिभूति निक्षेप —

8.1— शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउंसलिंग के दौरान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रूपये 10,000/-, अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रूपये 2000/-, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 3.00 लाख (रूपये तीन लाख) से ज्यादा है उन्हें प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रूपये 2000/- भुगतान करना होगा ।

8.2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 3.00 लाख (रूपये तीन लाख) से कम है उन्हें प्रतिभूति

निक्षेप जमा करने की आवश्यकता नहीं है । अभ्यर्थी को इस संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

8.3 आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रवेश के समय वर्तमान सत्र का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्कूटनी के समय सत्र 2014-15 का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी-3-7-2013-3 एक भोपाल दिनांक 25/09/2014 के अनुसार (परिशिष्ट-19) संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्वप्रमाणित निर्धारित प्रपत्र, घोषणा पत्र (परिशिष्ट-16)के आधार पर व्यक्ति की आय को मान्य किया जायेगा। आय प्रमाण प्रस्तुत न करने की दशा में प्रतिभूति निक्षेप की पूर्ण राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार ) मात्र का ड्राफ्ट जमा करना होगा । संबंधित अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा ऐसे स्वप्रमाणित घोषणा पत्रों/शपथपत्रों के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्रों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा कराई जायेगी। जाँच के पश्चात यदि यह सिद्ध होता है कि त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया गया है, तो ऐसे प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित छात्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी, तथा प्रवेश निरस्त किया जायेगा एवं ऐसे छात्रों को सीट लीविंग बॉर्ड के बराबर की राशि यथा रूपये 5,00,000/- (रु. पांच लाख) मात्र संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी खातों में दण्ड स्वरूप जमा करना होगा, तभी छात्र को मूल प्रमाण पत्र वापस किये जायेंगे।

8.4 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को वर्ष 2014-15 का आय प्रमाण-पत्र/ स्वहस्ताक्षरित, स्वप्रमाणित निर्धारित प्रपत्र, पर घोषणा पत्र (परिशिष्ट-16) प्रस्तुत करना होगा । कीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे । उन्हें सामान्य वर्ग में मेरिट अनुसार पात्रता होगी ।(अन्य पिछड़ा वर्ग के कीमीलेयर के मापदण्ड मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमानुसार पूर्ण करना आवश्यक है)

8.5 प्रतिभूति निक्षेप इंटरशिप सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् बिना ब्याज के संबंधित महाविद्यालय द्वारा वापिस कर दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी किसी कारण से आवंटित पाठ्यक्रम एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर देता है और इंटरशिप पूर्ण करने के पूर्व महाविद्यालय छोड़ देता है तो प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर लिया जाएगा ।

8.6 फीस वापिसी - अखिल भारतीय कोटे व स्टेट कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा स्टेट कोटे की अंतिम काउंसलिंग के दस दिवस पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लौटाई जावेगी । उक्त समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा केवल काशन मनी वापसी योग्य होगी । यह प्रक्रिया राज्य के एवं राज्य के बाहर के प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी ।

9. प्रावीण्य सूची -

- 9.1 अ. सीबीएससी दिल्ली द्वारा सभी सफल अभ्यर्थियों की म.प्र.राज्य की एक कॉमन मेरिट लिस्ट जारी की जावेगी ।
- ब. विकलांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दो पृथक-पृथक मेरिट सूचियां नियम 5.3 के अनुसार श्रेणीवार न्यूनतम योग्यता अंकों के एवं विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर तैयार की जावेगी ।
- 9.2 बोर्ड द्वारा सभी सफल अभ्यर्थियों की एक मेरिट लिस्ट जारी की जावेगी मेरिट लिस्ट में सम्मिलित होने के लिये अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को एआईपीएमटी- 2015 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार यदि अनारक्षित श्रेणी की सीट आवंटन करवाना चाहते हैं तो इसके लिये उन्हें अर्हकारी परीक्षा (10+2) में भौतिकी, रसायन तथा बायलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय पृथक-पृथक उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं एआईपीएमटी-2015 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
- 9.3. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को एआईपीएमटी- 2015 में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विकलांग अभ्यर्थियों हेतु एआईपीएमटी प्रवेश परीक्षा 2015 में अनारक्षित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कुल अंकों में से न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक एवं आरक्षित श्रेणी के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कुल अंकों में से 40 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य होंगे ।
- 9.4 उपरोक्त सूचियों में प्रतीक्षा सूची नहीं होगी ।

10 काउंसिलिंग-

- 10.1 काउंसिलिंग का कार्यक्रम पृथक से संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा घोषित किया जाएगा ।
- 10.2 प्रथम चरण की काउंसिलिंग ऑनलाईन की जायेगी । जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-
- (i) अभ्यर्थी को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा । अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस रूपये 500/-, पोर्टल फीस रूपये 30/- तथा रूपये 100 पोर्टल फीस च्वाइस लॉकिंग करने हेतु देय होगी । यह राशि अभ्यर्थी द्वारा एमपी ऑनलाईन द्वारा अधिकृत कियोस्क पर नगद जमा किया जा सकता है अथवा अभ्यर्थी निम्नानुसार भी भुगतान कर सकता है :-

- अ. इंटरनेट बैंकिंग  
 ब. ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड  
 स. क्रेडिट कार्ड

- नोट:-** अर्थात् अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के समय रूपये 530/- एवं च्वाईस लॉकिंग के समय रूपये 100/- कुल रूपये 630/- (रूपये छः सौ तीस केवल) जमा करने होंगे ।
- (ii) शासकीय स्वशासी एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये मात्र एक ही रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा ।
- (iii) ऑनलाईन रजिस्टर्ड पात्र अभ्यर्थियों द्वारा च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग स्वयं के द्वारा की जावेगी ।
- (iv) ऑनलाईन सीट आवंटन का परिणाम घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी अपने आवंटन पत्र का प्रिन्ट आउट अपने पासवर्ड का उपयोग करके, जो कि उसे एमपी ऑनलाईन में रजिस्ट्रेशन करवाने पर एमपी ऑनलाईन द्वारा दिया जायेगा, प्राप्त कर सकेगा ।
- (v) च्वाईस भरने के उपरांत अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी अगले चरणों की काउंसिलिंग के लिये अपात्र होंगे । अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे भली भांति सोच विचार कर अपनी च्वाईस भरें, जो पाठ्यक्रम/महाविद्यालय अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं, वह विकल्प अभ्यर्थी न भरें ।
- (vi) सीट आवंटित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों की केन्द्रीकृत स्कूटनी की कार्यवाही गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में की जाएगी। जिसमें अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेखों के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।
- (vii) ऐसे पात्र अभ्यर्थी जिन्होंने ऑल इंडिया काउंसिलिंग के आधार पर किसी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लिया है उन्हें स्कूटनी के समय उस महाविद्यालय के अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह अंकित होना चाहिये कि उनके कौन-कौन से मूल अभिलेख (पूर्ण सूची) जमा है, यह प्रमाण-पत्र तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटन के पश्चात प्रवेश हेतु दिये गये निर्धारित समय सीमा में प्रवेश के समय महाविद्यालय में अपने समस्त मूल अभिलेख जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका आवंटन स्वमेव निरस्त

माना जाएगा तथा उसकी सीट को रिक्त मानते हुए यह सीट आगामी काउंसलिंग में प्रदर्शित की जाएगी तथा अभ्यर्थी जिसे यह सीट आवंटित हुई थी वह आगे के चरणों की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये अपात्र होगा। स्कूटनी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा कराई जायेगी।

(viii) स्कूटनी उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की केन्द्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में की जाएगी। जिसमें संबंधित शासकीय/निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिकृत प्रतिनिधि अनिवार्यतः उपस्थित होंगे जिनके द्वारा प्रवेश की कार्यवाही संपन्न की जावेगी। अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए अपने मूल अभिलेखों तथा निर्धारित फीस के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रवेश की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी का उत्तरदायित्व संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों का होगी।

11 आगामी चरणों की काउंसलिंग आफलाईन की जायेगी जिसका विस्तृत कार्यक्रम संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in), एवं एमपी ऑनलाईन की वेबसाईट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर प्रदर्शित किया जावेगा।

उक्त चरणों की काउंसलिंग में निम्न अभ्यर्थी पात्र होंगे :-

अ- सभी पूर्व ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी।

ब- प्रथम चरण में आवंटित सीट पर प्रवेशित छात्र जिन्होंने पुर्नआवंटन के लिए विकल्प दिया है वह पात्र होंगे।

स- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसलिंग में किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है वह अपना ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन इन चरणों की काउंसलिंग के दौरान करा सकेगा, किन्तु उसे तत्समय उपलब्ध सीटों पर ही मेरिट-कम-च्वाईस अनुसार आवंटन की पात्रता होगी।

द- द्वितीय एवं आगामी चरणों की केन्द्रीकृत आफलाईन काउंसलिंग गांधी मेडिकल कालेज भोपाल में होगी। जिसमें समस्त शासकीय/निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे।

12. आफलाईन काउंसलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

अ- स्कूटनी- सभी पात्र इच्छुक अभ्यर्थियों को व्यक्तिशः गांधी मेडिकल कालेज भोपाल में मूल अभिलेखों की स्कूटनी हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। स्कूटनी संबंधी समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी का उत्तरदायित्व अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल का होगा। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्कूटनी करा ली गई है

उन्हे पुनः स्कूटनी करवाने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उन्हे स्कूटनी के दौरान उपस्थित रहना अनिवार्य है।

ब- आवंटन- स्कूटनी के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट के अनुसार केन्द्रीयकृत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया की जावेगी सीट आवंटन हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, जिससे वह अपने श्रेणी एवं मैरिट के अनुसार पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का चयन कर सकेगा। अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने पर उसे सीट आवंटन की पात्रता नहीं होगी। कोई अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश निर्धारित तिथी एवं समय पर उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित होने पर तत्समय उपलब्ध उनकी श्रेणी एवं मैरिट के अनुसार सीट चयन की पात्रता होगी। आवंटन की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी का उत्तरदायित्व अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल का होगा।

13. प्रवेश - सीट आवंटन के पश्चात निर्धारित तिथी एवं समय पर प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीयकृत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में की जावेगी। प्रवेश के दौरान सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित रहेंगे। सभी आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए गांधी मेडिकल कालेज भोपाल में उपस्थित होकर संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के काउंटर पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को समस्त मूल अभिलेख एवं निर्धारित पूर्ण फीस जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश प्रक्रिया की वीडियोग्राफी का उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा।

14. लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन की प्रक्रिया आफलाईन की जायेगी। जिसमें सीट आवंटन के लिये, शासकीय स्वशासी/निजी कॉलेजों की पूर्ण वार्षिक फीस तथा अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेख काउंसलिंग स्थल पर जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें सीट आवंटित नहीं की जाएगी। सीट आवंटन हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

15 अ- प्रवेश का रद्द/निरस्तीकरण किया जाना :-

(i) प्रवेश रद्द/निरस्तीकरण का आशय यह है कि कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश लेने के पश्चात शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में किसी भी कारणवश स्वेच्छा से सीट रिक्त/परित्याग करता है एवं इस विभाग की आगामी काउंसलिंग में भाग नहीं लेता है इस पूरी प्रक्रिया को प्रवेश का रद्द/निरस्तीकरण माना जायेगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि काउंसलिंग के दौरान यदि कोई छात्र प्रदेश के अंदर एक संस्था से दूसरी संस्था में प्रवेश लेता है तब इस प्रक्रिया को अपग्रेडेशन/पुर्नआवंटन कहा जायेगा एवं यह प्रक्रिया पूर्व की भांति जारी रहेगी।

- (ii) किसी भी शासकीय संस्था में प्रवेश निरस्तीकरण के प्रकरणों के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-
- (क) प्रवेश के पश्चात प्रवेश निरस्त कराने हेतु अपना आवेदन पत्र पूर्ण औचित्य के साथ संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य को संबंधित छात्र द्वारा प्रस्तुत करना होगा। संबंधित छात्र को अपने आवेदन पत्र के साथ वही फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा, जो उसने प्रवेश के समय प्रस्तुत किये थे, अलाटमेन्ट लेटर की सत्यापित प्रति, प्रवेश हेतु आवेदक द्वारा जमा की गई फीस रसीद की स्वयं सत्यापित प्रति, संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी आवेदन पत्र मान्य किया जायेगा। संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवेदन पत्र पर शीघ्र ही निर्णय लेकर संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य, संबंधित छात्र, एम.सी.आई./डी. सी.आई. तथा संबंधित विश्वविद्यालय को सूचित किया जावेगा। जहाँ सीट लीविंग बॉण्ड की शर्त लागू हो उन प्रकरणों में सीट लीविंग बॉण्ड की राशि जमा कराई जाना अनिवार्य होगा, तभी सीट रद्दकरण/निरस्तीकरण का आवेदन मान्य होगा। संचालक चिकित्सा शिक्षा से प्रवेश निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा मूल अभिलेख संबंधित छात्र/छात्र द्वारा अधिकृत अभिभावक को उसी दिन वापस किये जायेंगे। प्रवेश निरस्तीकरण की पर्ची संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा ऑन लाईन केवल एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से जनरेट की जावेगी। संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी सीट रद्दकरण/निरस्तीकरण आदेश ही वैध माने जायेंगे।

- (ख) रद्दकरण एवं निरस्तीकरण की स्लिप प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

एमपीऑनलाईन पोर्टल पर संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा जी-2-जी लॉग-इन (Log-in) करने पर संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल का होम पेज प्रदर्शित होगा। इसमें प्रवेश निरस्तीकरण का लिंक (Admission cancellation) दिखाई देगा। इस लिंक को क्लिक करने पर एक पृष्ठ प्रदर्शित होगा। उसमें आवेदक का AIPMT 2015 का रोल नंबर एवं काउंसलिंग के चरण की जानकारी भरकर सबमिट करने पर आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसमें नीचे की ओर दिखाई दे रहे cancellation ऑप्शन को टिक कर संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा सबमिट करने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त हो जायेगा और प्रवेश निरस्तीकरण की पावती जनरेट होगी जिसे आवेदक द्वारा संचालक चिकित्सा शिक्षा के

माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा तथा आवेदक द्वारा भी रोल नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग कर एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से प्राप्त की जा सकेगी।

15 ब- संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य प्रवेशित छात्रों एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश को निम्नानुसार भेजी जाना सुनिश्चित करेंगे :-

क)- समस्त प्रवेशित छात्रों एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की जानकारी संबंधित संस्था द्वारा प्रत्येक दिवस परिशिष्ट-15 में सायंकाल 7:00 बजे तक ई-मेल और डाक/विशेष वाहक द्वारा उसी दिन उपलब्ध कराई जायेगी।

ख)- प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की पूर्ण सूचियाँ कम से कम एक वर्ष तक अपने वेबसाइट पर संबंधित संस्थाएँ निरन्तर प्रदर्शित रखें तथा निम्न अधिकारियों को उनके वेबसाइट पर सूची/छात्रों के नाम प्रदर्शित रखने हेतु संलग्न परिशिष्ट-15 में ई-मेल एवं डाक/विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा :-

(i) संचालक चिकित्सा शिक्षा (ई-मेल आई डी. [dme12001@yahoo.com](mailto:dme12001@yahoo.com))

(ii) एम.पी. ऑनलाइन (ई-मेल आई डी. [ashish.singh@mponline.gov.in](mailto:ashish.singh@mponline.gov.in))

ग)- संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद 7 दिवस के अंदर समस्त प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त छात्रों की सूची अनिवार्यतः संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश, संबंधित विश्वविद्यालय, एम.पी. ऑनलाइन एवं एम.सी.आई./डी.सी.आई. को ई-मेल, और डाक/विशेष वाहक के माध्यम से परिशिष्ट-15 में उपलब्ध कराई जावे।

घ)- प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संबंधित संस्था द्वारा कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं करने पर तथा प्रवेशित एवं प्रवेश निरस्त किये गये छात्रों की सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा, एम.सी.आई./डी.सी.आई., संबंधित विश्वविद्यालय, और एम.पी.ऑनलाइन को समय-समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने पर तथा संस्था द्वारा स्वयं अपने स्तर पर प्रवेश निरस्त किये जाने पर संबंधित संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य के विरुद्ध यह मानकर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी कि उन्होंने जान बूझकर जानकारी को छिपाया है ताकि रिक्त रही सीटों को अवैधानिक रूप से भरा जा सके।

प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया संवेदनशील होकर महत्वपूर्ण है अतएव छात्रों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश लेने के पूर्व भली-भाँति सोच-विचारकर प्रवेश लें जिससे कि उन्हें आर्थिक हानि न हो एवं आगामी तीन वर्ष के लिए प्रवेश से वंचित न होना पड़े।

16.

- (i) ऑल इंडिया कोटे से रिक्त स्टेट कोटे में वापिस प्राप्त (रिवर्टेड) सीट के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो पूर्व के चरणों में आवंटित सीट पर प्रवेशित हों अथवा ऐसे पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो।
- (ii) संबंधित श्रेणी के विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एवं मिलिट्री पर्सन प्रवर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में खाली स्थान (सीट) उसी श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।
- (iii) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रवेश के समय वर्तमान सत्र का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्कूटनी के समय सत्र 2014-15 का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी-3-7-2013-3 एक भोपाल दिनांक 25/09/2014 के अनुसार संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्वप्रमाणित निर्धारित प्रपत्र, घोषणा पत्र (परिशिष्ट-16)के आधार पर व्यक्ति की आय को मान्य किया जायेगा। आय प्रमाण प्रस्तुत न करने की दशा में प्रतिभूति निक्षेप की पूर्ण राशि रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। संबंधित अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा ऐसे स्वप्रमाणित घोषणा पत्रों/शपथपत्रों के आधार पर प्रवेश लेने वाले छात्रों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा कराई जायेगी। अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा वर्णित तथ्यों की जांच हेतु सक्षम अधिकारी को प्रवेश की अंतिम तिथि से 60 दिवस के अंदर भेजना अनिवार्य होगा। जांच के पश्चात यदि यह सिद्ध होता है कि त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया गया है, तो ऐसे प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित छात्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी, तथा प्रवेश निरस्त किया जायेगा एवं ऐसे छात्रों को सीट लीविंग बॉन्ड के बराबर की राशि यथा रुपये 5,00,000/- (रु. पांच लाख) मात्र संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी खातों में दण्ड स्वरूप जमा करना होगा, तभी छात्र को मूल प्रमाण पत्र वापस किये जायेंगे।
- (iv) किसी भी अभ्यर्थी को एक बार पाठ्यक्रम व महाविद्यालय आवंटित किये जाने के पश्चात् पुनः आवंटन की पात्रता उसके मेरिट के अनुसार होगी। इसके लिये अभ्यर्थी को प्रत्येक आवंटन के अनुसार निर्धारित तिथि तक संबंधित कालेज में शुल्क जमा करके संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में अंतिम तिथि तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करना होगी। शासकीय/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में पुनः आवंटन की स्थिति में महाविद्यालय में जमा वार्षिक शैक्षणिक शुल्क का 10 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 10,000/-रु० दस हजार मात्र)शुल्क काटकर शेष राशि छात्रों को वापस की जाएगी।
- (v) शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी, एवं जिसे संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

17. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें मध्य प्रदेश में शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश उनके अखिल भारतीय कोटा-2015के आधार पर दिया गया है तथा उनका चयन मध्यप्रदेश स्टेट कोटा-2015 में भी हुआ है, वे मध्यप्रदेश स्टेट कोटा-2015 में चयनित अभ्यर्थियों के लिये आयोजित काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र होंगे, उन्हें आवंटन के समय अखिल भारतीय कोटा की सीट छोड़ना होगा।  
(एनेक्सर-2)
18. (अ) राज्य को अखिल भारतीय कोटा की लौटाई गई कुल प्राप्त सीटों को राज्य कोटा की सीटों में सम्मिलित कर मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति अनुरूप बांटा जावेगा। इनका पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालयों में वितरण काउंसिलिंग के दौरान किया जायेगा।
- (ब) यदि आरक्षण अनुसार पात्र अभ्यर्थी किसी आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी -
- (i)- अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जावेगी।
- (ii)- अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जावेगी।
- (iii)- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थी उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।
- (iv)- यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी।
- 19 पूर्व वर्षों में बी0डी0एस0/एम0बी0बी0एस0 में अध्ययनरत अभ्यर्थी यदि वर्ष 2015 की एआईपीएमटी- 2015 के आधार पर पुनः पात्रता हासिल करता है तो अभ्यर्थी को प्रारूप-1 एवं 1(अ) के साथ मूल अभिलेख अथवा मूल अभिलेखों की छायाप्रतियों सहित

संबंधित अध्ययनरत संस्था के अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख का यह प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा कि वे सभी अभिलेख (सूची दर्शाते हुए) मूलतः उनकी अध्ययनरत संस्था के पास जमा है। यह प्रमाण पत्र 3 माह से अधिक पुराना नहीं होगा। आवंटन होने पर आवंटित संस्था में प्रवेश के समय मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा अन्यथा ऐसा दिया गया आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा।

20. अभ्यर्थी, काउंसिलिंग द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा।
- 21अ. स्कूटनी, आवंटन एवं प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी जिसमें अभ्यर्थी की स्कूटनी एवं आवंटन एवं प्रवेश के समय की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण हो। वीडियोग्राफी की सी.डी. तीन प्रतियों में तैयार की जाएगी जिसकी एक प्रति अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख एक प्रति संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं एक प्रति रजिस्ट्रार संबंधित विश्वविद्यालय में जमा कराई जाएगी। शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रत्येक चरण के प्रवेशित छात्रों की सूची संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को दी जाएगी एवं यह सूची संबंधित कालेज की वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर चरपा की जाएगी एवं डीएमई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- 21ब. प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग एवं उसकी समस्त व्यवस्थाओं के लिये संचालक चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी एवं उसके द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस समिति के समन्वयक संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा होंगे जो पूरी काउंसिलिंग प्रक्रिया के नियमानुसार संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।
- 21स. प्रवेश के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के दोनों हाथों की समस्त उंगलियों के फिंगर प्रिन्ट लिये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित अधिष्ठाता/प्राचार्य चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय का होगा। फिंगर प्रिन्ट्स लिये जाने की व्यवस्था अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल सुनिश्चित करेंगे।
22. प्रत्येक महाविद्यालय की प्रवेश समिति गठित की जाएगी जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य, तथा चार चिकित्सा शिक्षक जिसमें कम से कम दो आरक्षित श्रेणी के चिकित्सा शिक्षक रहेंगे।

यह समिति मूल अभिलेखों का सत्यापन भी करेगी तथा पात्र पाये जाने पर अभ्यर्थी को आवंटित पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय में प्रवेश देगी। यह समिति केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग स्थल गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में उपस्थित रहकर स्कूटनी एवं प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही सम्पन्न करेगी। उक्त कार्य हेतु अधिष्ठाता / प्राचार्य अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकेंगे।

**22.1** काउंसिलिंग में सीट आवंटन होने पर प्रवेश की समस्त कार्यवाही संबंधित आवंटित महाविद्यालय की प्रवेश समिति के द्वारा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में निर्धारित तिथि एवं समय पर की

जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया हेतु सीट आवंटित अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश की समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा प्रतिदिन प्रवेशित छात्रों की सूची प्रवेश स्थल के नोटिस बोर्ड पर एवं संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन के प्रवेशित छात्रों की सूची संबंधित महाविद्यालय द्वारा उसी दिन संचालक चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

**22.2** प्रवेशित अभ्यर्थी के समस्त मूल प्रमाण पत्र महाविद्यालय द्वारा जमा रखे जावेंगे तथा अभ्यर्थी को इस आशय का एक प्रमाण पत्र महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किया जायेगा।

**22.3** अनुबंधित छात्रों के मूल अभिलेख, पाठ्यक्रम तथा इन्टर्नशिप पूर्ण करने के बाद तत्समय शासन के निर्देशानुसार लौटाने की कार्यवाही की जावेगी। जो छात्र अनुबंधित नहीं हैं उनके मूल अभिलेख, पाठ्यक्रम तथा इन्टर्नशिप पूर्ण करने अथवा पाठ्यक्रम की सीट महाविद्यालय से किसी भी कारण से त्याग पत्र देने की स्थिति में ही लौटाये जायेंगे।

**22.4** अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त होंगे।

### **23. बान्ड का निष्पादन-**

- 1. ग्रामीण सेवा बान्ड** - अभ्यर्थी जिसका प्रवेश एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में हुआ है, उसे एक बान्ड का निष्पादन करना होगा, कि वह इन्टर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन की सेवा में रह कर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर निश्चित समय तक कार्य करेगा/करेगी। बान्ड की राशि अनारक्षित श्रेणी के विद्यार्थी के लिये रूपये 5.00 लाख (कुल रू0 पांच लाख मात्र) होगी तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को

छोड़कर) श्रेणी के छात्रों के लिये रूपये 3.00 लाख (कुल रू0 तीन लाख मात्र) होगी।  
(प्रारूप-14)

बांड की शर्तें स्टेट कोटा, अखिल भारतीय कोटा एवं भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर एमबीबीएस कोर्स में प्रवेशित सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होगी ।

2. सीट लीविंग बान्ड – यदि कोई छात्र अन्तिम चरण की काउंसलिंग में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के बाद शासकीय स्वशासी संस्था में अपनी सीट रिक्त करता है ,अथवा त्यागपत्र देता है और किसी अन्य छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में छात्र को रू0 5.00 लाख, (कुल रूपये पांच लाख)संबंधित शासकीय स्वशासी संस्था में अर्धदण्ड स्वरूप जमा करने होंगे ,एवं अगले तीन वर्षों तक उसको प्रदेश के किसी भी स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
24. काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा एवं कार्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. की वेबसाईट [www. medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर भी सूचित किया जावेगा ।
25. शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ एवं किसी भी कारण से होने वाली रिक्तियों पर प्रवेश की अंतिम तिथि के संबंध में माननीय सर्वोच्च /उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने पर अथवा एम.सी.आई. द्वारा तिथि निर्धारित किये जाने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उसे संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर प्रदर्शित किया जावेगा ।
26. राज्य शासन, प्रवेश के किसी नियम प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखत हैं । इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के संबंध में किसी विवाद की दशा में राज शासन का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा ।
27. प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों में बदलाव का अधिकार मध्यप्रदेश शासन को होगा। उसकी सूच संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी किन्तु इसे अलग प्रकाशित नहीं किया जाएगा । अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) के सतत् सम्प में रहें एवं उसे देखते रहें ।

किसी भी वाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हिन्दी प्रारूप ही मान्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

**TABLE - 1.1**  
**GOVERNMENT AUTONOMOUS MEDICAL AND DENTAL COLLEGE**  
**DISTRIBUTION OF MBBS & BDS SEATS**

S.No.	Name of Medical/Dental College	All India	GOI	NRI	PH	MP	FF	OPEN (All Categories)	TOTAL
1-	G.M.C. BHOPAL	23	7+1*	05	04	03	04	103	150
2-	G.R.M.C.GWALIOR	23	06	05	03	04	03	106	150
3-	M.G.M.M.C. INDORE	23	03	05	04	03	04	108	150
4-	N.S.C.B.M.C. JABALPUR	23	08	05	03	04	03	104	150
5-	S.S.M.C. REWA	15	03	04	02	02	02	72	100
6-	B.K.M.C. SAGAR	15	00	04	03	03	03	72	100**
7-	Govt Dental College Indore	06	01	02	01	01	01	28	40
	<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>593</b>	<b>840</b>

\* Lakshdeep Seat

Note:- No. of seats in each college is subjected to permission from Government of India.

\*\* Subjected to permission from Govt. of India

संकेत

MP = मिलिट्री पर्सन

FF = स्वतंत्रता सेनानी

PH = विकलांग

GOI = भारत सरकार द्वारा नामांकित

NRI = अप्रवासी भारतीय



TABLE - 1.2GOVT. AUTONOMOUS MEDICAL & DENTAL COLLEGECATEGORY WISE DISTRIBUTION OF MBBS /BDS SEATS (STATE QUOTA OPEN SEATS)

S.No.	Medical College	Unreserved	ST	SC	OBC	Grand Total
1-	G.M.C. BHOPAL	52	20	16	15	103
2-	G.R.M.C.GWALIOR	53	21	17	15	106
3-	M.G.M.M.C. INDORE	54	22	17	15	108
4-	N.S.C.B.M.C. JABALPUR	52	21	17	14	104
5-	S.S.M.C. REWA	36	14	12	10	72
6-	B.K.M.C. SAGAR	36	14	12	10	72
7-	GOVT.DENTAL COLLEGE INDORE	14	06	04	04	28
	TOTAL	297	118	95	83	593

Note :- 30% seats will be made available to female candidate in each category.

TABLE - 1.3GOVERNMENT AUTONOMOUS MEDICAL AND DENTAL COLLEGECATEGORY WISE DISTRIBUTION OF MBBS & BDS SEATS (NRI,PH,MP,& FF)

S.N o.	Name of College	NRI						PH						MP						FF						
		UR		SC		OBC		Total		UR		SC		OBC		Total		UR		SC		OBC		Total		
		UR	ST	SC	ST	OBC	ST	SC	OBC	Total	UR	ST	SC	ST	OBC	Total	UR	ST	SC	ST	OBC	Total	UR	ST	SC	OBC
1-	GMC Bhopal	3	1	1	0	0	1	4		1	1	0	1	3		2	1	0	1							4
2-	GRMC Gwalior	2	1	1	1	0	1	3		2	1	1	0	4		1	1	0	1							3
3-	MGM MC Indore	3	1	1	0	1	1	4		1	1	1	0	3		2	1	1	0							4
4-	NSCB MC Jabalpur	2	1	1	1	0	0	3		2	1	0	1	4		2	1	0	1							3
5-	SSMC Rewa	2	1	0	1	0	0	2		1	0	0	1	2		1	0	0	1							2
6-	BKMC Sagar	2	0	1	1	1	1	3		2	0	1	0	3		2	0	1	0							3
7-	Govt .Dental College Indore	1	1	0	0	0	0	1		1	0	0	0	1		1	0	0	0							1
	<b>TOTAL</b>	15	6	5	4	4	3	20		10	4	3	3	20		10	4	3	3							20

Grand Total - 90- Unreserved-45, ST-18, SC - 14, OBC- 13

TABLE-4


## FEE STRUCTURE

Autonomous Medical College Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur, Rewa, Sagar,  
and Dental College Indore.

i) Tuition Fees (Free Seat)	35,000/-	per annum
ii) Hostel Fees	10,000/-	per annum
iii) Caution Money (refundable)	3,000/-	
iv) Student Fund	500/-	per annum
v) Security Deposit (refundable) Instalment)	10,000/-	

## प्रारूप-1

**प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्कूटनी, काउंसलिंग, आवंटन संबंधी प्रपत्र  
(उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)**



मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश पूर्व स्नातक प्रवेश नियम 2015 के नियम भलीभांति पढ़कर समझ लिये हैं। तत्पश्चात ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन स्कूटनी में भाग ले रहा/रही हूँ।

स्कूटनी में भाग लेने के लिये आज दिनांक .....को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुसार नहीं है, अथवा असत्य है, या अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जायें। किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाय-

1. ए.आई.पी.एम.टी.2015 का रोल नं. : .....
2. मेरिट सूची क्रमांक : .....
3. प्रवेश परीक्षा परीक्षा में प्राप्तांक : .....
4. पूरा नाम : .....
5. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता : .....
- टेलिफोन/मोबाईल न. : .....
- 6.1 श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति : .....  
/अन्य पिछड़ा वर्ग)
- 6.2 प्रवर्ग (सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग, ओपन) : .....
7. मूल प्रमाण पत्र अभिलेख जो प्रस्तुत किये हैं उनके सामने सही ( ) का चिन्ह लगायें  
(स्कूटनी समिति सदस्य द्वारा)
  1. ए.आई.पी.एम.टी. परीक्षा 2015- टेस्ट एडमिट कार्ड
  2. ए.आई.पी.एम.टी. परीक्षा 2015 की मूल अंक सूची
  3. ए.आई.पी.एम.टी. परीक्षा 2015 मध्य प्रदेश राज्य की मूल अंकसूची (मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए)
  4. अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची।
  5. आरक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र, निम्न प्रविष्टियों सहित।

Book No.	Disp.No.	Date	Place	Issuing Authority (Signature & Seal)
----------	----------	------	-------	---

--	--	--	--	--

6. आरक्षित प्रवर्ग(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/सैनिक/विकलांग)हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में।
7. जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं/12 वीं की अंक सूची /प्रमाण-पत्र जिसमें  
जन्म तिथि अंकित हो।

**DD MM YYYY**

--	--	--	--

- 8 चरित्र प्रमाण पत्र ।  
 9 यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा गेप शपथपत्र ।  
 10 मध्यप्रदेश का मूल निवासी स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र निम्न प्रविष्टियों सहित ।

No.	Dt.of issue.	Place	Issuing Authority (Signature & Seal)
-----	--------------	-------	---

--	--	--	--

- 11 अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी. , प्रमाण पत्र  
 12. वर्तमान आय प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित, स्वहस्ताक्षरित) अथवा प्रारूप 10 ब के अनुसार।  
 13. संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण-पत्र, सूची सहित । (यदि लागू हो तो )

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक पूरा नाम

### स्कूटनी (सूक्ष्म जांच) समिति द्वारा भरा जावे

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों 01 से 12 की पूर्णतः जांच की। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं। प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को उपर उल्लेखित किया गया है ।

सदस्य स्कूटनी समिति  
(नाम,पदनाम, हस्ताक्षर, दिनांक)

परीक्षणोपरान्त उम्मीदवार काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र है, अथवा निम्न प्रमाण पत्रों एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराने के कारण अथवा अन्य कारणों .....से काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं है।

अध्यक्ष, स्कूटनी समिति  
हस्ताक्षर, दिनांक, नाम एवं पदनाम

प्रारूप-1-अ**शपथ पत्र**

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री .....उम्र.....निवासी.....आज  
दिनांक .....को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा काउंसलिंग में लिये गये  
निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी।

आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन  
करूंगा/करूंगी।

1. गवाह के हस्ताक्षर  
दिनांक .....  
नाम .....  
पूरा पता .....
2. गवाह के हस्ताक्षर  
दिनांक .....  
नाम.....  
पूरा पता.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
दिनांक .....  
पूरा नाम .....  
पता .....  
टेलिफोन/मोबाईल न. ....

**ANNEXURE-2****DECLARATION FORM**

**(To be submitted by candidate in the college at the time of admission FOR**

Allotment of a Seat in State Autonomous/State Medical / Dental College in lieu of resignation from All India Quota Seat.

I .....  
S/o, D/o, ..... Resident of  
..... Bearer  
ng Roll No. .... have been placed at Rank Number  
..... in the AIPMT 2015 and I had opted a  
Seat at College \_\_\_\_\_ Course  
\_\_\_\_\_ in the allotment, and have  
taken admission there on dated \_\_\_\_\_

I, the above named, hereby chose a seat at  
\_\_\_\_\_ college in \_\_\_\_\_ course  
from amongst the seats in Medical / Dental Colleges of  
M.P. available at my rank during this counselling for  
allotment and admission.

Following this allotment, I hereby resign from my All India  
quota seat of 2015. I shall have no claim on the seat  
allotted to me earlier at College \_\_\_\_\_ Course  
\_\_\_\_\_. Consequently, the same stands vacated  
by me with immediate effect.

**OR**

I, the above named reject the seats ,made available to me  
at my rank for allotment and I will continue my studies at  
my earlier allotted College \_\_\_\_\_ Course  
\_\_\_\_\_

**Signature of the Candidate**

Name \_\_\_\_\_

Rank No. \_\_\_\_\_

प्रारूप-3 मिलेट्री पर्सनल संवर्ग (एम.पी.) हेतु प्रमाण पत्र

भाग (अ)

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....  
जो ए.आई पी.एम.टी. 2015 परीक्षा ..... के आधार पर  
पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी .....  
..... के पिता/माता है-

अ- थल सेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है, सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के  
समय वे..... पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक.....  
..... था।

अथवा

ब- उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक.....  
..... के अधीन सेवा की है सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए  
है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष..... में हो चुकी है।

स्थान.....

दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)



प्रारूप - 3

भाग (ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....जो ए. आई.पी.एम.टी 2015 ..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी..... के पिता/माता है।

अ- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है. वे इस इकाई में दिनांक..... से सेवारत है।

अथवा

ब- उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग.....

(कार्यालय सील)

प्रारूप-3 भाग(स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)..... जो एआईपीएमटी 2015 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार हैं, श्री/श्रीमती (पिता/माता).....के/की पुत्र/पुत्री हैं, जो थलसेना/वायुसेना/नौसेना में .....पद,सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवारत रहकर सेवानिवृत्त हुए हैं। वे सेवानिवृत्ति के पश्चात् .....(स्थान),तहसील..... जिला.....में व्यवस्थापित हो गए है।

स्थान-----

दिनांक-----

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

प्रारूप-4 भाग (अ)  
स्थायी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ..... जिला..... मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक ..... प्रमाण पत्र क्रमांक ..... प्रकरण क्रमांक .....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पिता/पति का नाम ..... निवासी ग्राम/नगर ..... वि.खं. ....  
.....तहसील ..... जिला ..... संभाग .....  
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के  
अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट  
किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति  
(संशोधन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ..... पर अंकित है।  
अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम.....  
.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के  
परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ..... है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम/सील

टिप्पणी

- (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

प्रारूप-4-भाग (ब)

म.प्र. की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक.....दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) .....  
आत्मज श्री..... निवासी/ग्राम.....जिला/संभाग .....  
.....मध्यप्रदेश के निवासी है जो .....जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में,  
मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र.  
एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्री .....(पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के  
जिला .....संभाग .....में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....(पिता का  
नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख भारत  
सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्रा क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.)  
दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के  
ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ.प्र. दिनांक 6 जुलाई, 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक 6  
आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है।

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम(सील)

प्रारूप - 5 : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....दिनांक.....

1- यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार.....  
श्री(पिता) .....एवं श्रीमती (माता).....  
..... के पुत्र /पुत्री है। श्री/श्रीमती.....  
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री.....के/की  
वैद्य (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।

2- श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का  
नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला..... (जिले का नाम) में संधारित  
(Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक.....  
..... पर पंजीकृत है।

स्थान-----  
दिनांक-----

हस्ताक्षर : कलेक्टर  
(कार्यालय की स्पष्ट मोहर)

## प्रारूप-6

## स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

नायब तहसीलदार / तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

विषय:- स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत् ।

महोदय/महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है । मेरे द्वारा संपादित शपथ-पत्र संलग्न है । यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें ।

- |     |                                      |   |   |
|-----|--------------------------------------|---|---|
| 1-  | मेरा नाम                             | : | _____   |
| 2-  | पिता/पति का नाम                      | : | _____   |
| 3-  | जन्मतिथि                             | : | _____   |
| 4-  | निवास का पूरा पता                    | : | मकान नं0.....मोहल्ला.....<br>ग्राम/शहर का नाम.....<br>तहसील.....जिला.....   |
| *5- | मेरी पत्नी का विवरण                  | : | नाम.....आयु.....वर्ष.....   |
| *6- | मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्रियों का विवरण | : | (1)नाम.....पुत्र/पुत्री, आयु.....वर्ष..<br>(2)नाम.....पुत्र/पुत्री, आयु.....वर्ष..<br>(3)नाम.....पुत्र/पुत्री, आयु.....वर्ष.. |

संलग्न:- शपथ-पत्र

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदंड से दण्डनीय है)

हस्ताक्षर-\_\_\_\_\_

आवेदक का नाम (\_\_\_\_\_)

\* लागू न होने की स्थिति में काट दें/वर्णित न करें

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, टप्पा/तहसील.....जिला.....

पावती

श्री/श्रीमती.....के द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र का आवेदन आज दिनांक.....को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मय सील

प्रारूप-7

शपथ-पत्र

मैं.....आत्मज/पति श्री.....  
आयु (लगभग) ..... वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि -

1. मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूँ ।
- \*2- मेरी पत्नी का नाम श्रीमती.....एवं उम्र (लगभग).....वर्ष है ।
- \*3- मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री - (1)श्री/कु0..... आयु.(लगभग).....वर्ष..  
(2)श्री/कु0..... आयु.(लगभग).....वर्ष..  
(3)श्री/कु0..... आयु.(लगभग).....वर्ष..
4. (यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक सी-3/22/2010/3/1 दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 एवं 4 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
- \* (1) मैं, मध्यप्रदेश के मकान नं.....मोहल्ला.....ग्राम.....  
तहसील.....जिला..... में वर्ष..... में पैदा हुआ/हुई हूँ । मैंने संस्था.....  
.....ग्राम/शहर.....तहसील.....जिला..... में वर्ष.....  
..... से वर्ष.....तक शिक्षा प्राप्त की है ।  
(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (i) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो, की पूर्ति करने की स्थिति में उपर्युक्तानुसार विवरण अंकित किया जाये । मूक, बधिर, अंधे तथा अशिक्षित व्यक्ति के प्रकरण में शिक्षण संस्था में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)
- \* (2) मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला.....शहर.....तहसील.....जिला.....  
..... में विगत 15 वर्ष से निवासरत हूँ ।  
(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (ii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो । यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहां-कहां निवासरत रहें इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
- \* (3) मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से ग्राम/मोहल्ला.....शहर.....तहसील.....  
जिला.....में निरंतर निवासरत हूँ और मेरे नाम से ग्राम/शहर में सर्वे नं0.....  
..... रकबा.....भू-खण्ड/मकान है । मैं .....उद्योग/व्यवसाय करता हूँ  
। मेरा टिन नम्बर/पेन नम्बर..... है ।  
(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (iii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पति धारित करता हो/उद्योग या किसी व्यवसाय को करता हो)
- \* (4) मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम..... कार्यालय का नाम.....विभाग का नाम.....के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (iv) के अनुसार)

\* (5) मैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित .....नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में .....पद पर/से..... कार्यालय में/से सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (v) के अनुसार कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए है उसका पूर्ण विवरण दें)

\* (6) मैं केन्द्र शासन के विभाग..... में ..... के पद पर ..... कार्यालय.....तहसील.....जिला..... के पद पर वर्ष .....से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vi) के अनुसार कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

\* (7) मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित ( आवंटन वर्ष.....) अधिकारी हूँ । .....पद पर.....कार्यालय/मंत्रालय..... में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vii) के अनुसार कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण, कार्यरत पद का नाम )

\* (8) मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद..... (पदनाम) पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ ।  
(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (viii) के अनुसार पूर्ण विवरण दिया जाए )

हस्ताक्षर  
शपथग्रहिता

#### सत्यापन

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु..... वर्ष, निवासी..... सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथपत्र की कंडिका..... लगायत..... में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है ।

इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है ।

सत्यापन आज दिनांक..... को स्थान..... में किया गया ।

हस्ताक्षर  
शपथग्रहिता

\* जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख शपथ-पत्र में किया जाए

प्रारूप-8

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार  
 टप्पा/तहसील ..... जिला .....

प्र.क. /बी-121/ वर्ष ..... दिनांक .....

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

यहां आवेदक का पासपोर्ट  
 साईज का फोटो लगाया  
 जाए जो प्राधिकृत अधिकारी  
 द्वारा सत्यापित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. .... पिता/पति ..  
 ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला .....  
 (मध्यप्रदेश), राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए  
 प्रभावशील ज्ञाप दिनांक ..... में निर्धारित मापदण्ड की कसिका क्रमांक .....  
 की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है ।

\*2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक .....  
 ..... दिनांक ..... के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की  
 पत्नी\* /अवयस्क बच्चे\* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है

(1) आवेदक की पत्नी का नाम.....आयु.....वर्ष है ।  
 (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री (1).....आयु.....वर्ष  
 (2).....आयु.....वर्ष  
 (3).....आयु.....वर्ष  
 (4).....आयु.....वर्ष

टीप:- यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच  
 में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा ।  
 (आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह0 तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
 तहसील.....  
 जिला.....

\* जो लागू हो काट दें ।

**प्रारूप-9 (अ) : बी.डी.एस. से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुर्न आवंटन हेतु****अनापत्ति प्रमाण पत्र**

प्राचार्य,

.....  
.....

(सम्बन्धित दन्त चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

विषय :- बी.डी.एस. से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुर्न आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र  
बावत्।मेरे द्वारा ए.आई.पी.एम.टी 2015 में उत्तीर्ण होकर श्रेणी .....प्रवर्ग.....  
..... मेरिट क्र० ..... के आधार पर शासकीय काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर  
आपके दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ।ए.आई.पी.एम.टी 2015 के नियमानुसार मैं आगामी काउन्सिलिंग में बी.डी.एस.  
पाठ्यक्रम से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए पुर्न आवंटन चाहता/चाहती हूँ। अतः अनापत्ति  
प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें। मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा है। इस  
बावत् भी पूष्टि करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर

नाम प्रार्थी

पिता/अभिभावक का नाम

कार्यालय प्राचार्य  
(दन्त चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)संचालक  
चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश भोपाल।

दिनांक.....

श्री/कु ..... आत्मज .....  
.....इस दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में ए.आई.पी.एम.टी 2015 की काउन्सिलिंग के  
आधार पर बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज इस महाविद्यालय  
में जमा हैं जो निम्नानुसार है :-बी.डी.एस. पाठ्यक्रम से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुर्न आवंटन किये जाने पर इस  
महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

महाविद्यालय की सील

प्रिन्सिपल/प्राधिकृत अधिकारी  
दन्त चिकित्सा महाविद्यालय,



**प्रारूप-9 (ब) एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुर्न आवंटन हेतु**

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

प्राचार्य,

.....  
.....  
(सम्बन्धित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

विषय :- एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुर्न आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत्।

मेरे द्वारा ए.आई.पी.एम.टी 2015 में उत्तीर्ण होकर श्रेणी ..... संवर्ग.....  
मेरिट क्र० ..... के आधार पर शासकीय काउन्सिलिंग में सीट आवंटित  
करवाकर आपके चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ।  
ए.आई.पी.एम.टी 2015 नियमानुसार मैं आगामी काउन्सिलिंग में एम.बी.बी.एस.  
पाठ्यक्रम के लिए पुर्न आवंटन चाहता/चाहती हूँ। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट  
करें। मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा है। इस बावत भी पुष्टि करने का कष्ट  
करें।

हस्ताक्षर  
नाम प्रार्थी  
पिता/अभिभावक का नाम

कार्यालय प्राचार्य  
( चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

संचालक  
चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश भोपाल।

दिनांक.....

श्री/कु ..... आत्मज .....  
.....इस दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में ए.आई.पी.एम.टी 2015 की काउन्सिलिंग के  
आधार पर इस संस्था में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है। छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज  
इस महाविद्यालय में जमा हैं जो निम्नानुसार है :-  
एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुर्न आवंटन किये जाने पर इस महाविद्यालय को कोई  
आपत्ति नहीं है।

महाविद्यालय की सील

प्रिन्सिपल/प्राधिकृत अधिकारी  
चिकित्सा महाविद्यालय.....

**आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप 10-अ**

प्रति,

तहसीलदार/ नायब तहसीलदार,

.....  
.....

विषय:- आय प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय/महोदया,

मुझे आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है । मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है :-

- 1- मेरा नाम :-.....  
2- पिता/पति का नाम :-.....  
3- निवास का पूरा पता :-.....  
.....

- 4- संलग्न शपथ-पत्र अनुसार समस्त स्रोतों से मेरी/मेरे परिवार\* की वार्षिक आय:-.....

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है)

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम ( )

(\*परिवार से आशय पति/पत्नि एवं अवयस्क बच्चे हैं ।)

कार्यालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार टप्पा/तहसील.....

जिला.....

पावती

श्री/श्रीमती..... के आय प्रमाण हेतु आवेदन आज दिनांक..... को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता  
मय सील

प्रारूप-10-ब

कार्यालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार

टप्पा/तहसील.....जिला.....

प्र.क. /बी-121/वर्ष.....

दिनांक.....

आय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु०.....

.....पिता/पति.....निवासी.....तहसील.....

.....जिला.....मध्यप्रदेश, की/के परिवार की समस्त

स्रोतों से वार्षिक आय रुपये.....(शब्दों में.....) है ।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....जिला.....

सील

Appendix-11

No.U-14014/6/2001-ME (UG)  
Government of India  
Ministry of Health and Family Welfare  
(Department of Health)

New Delhi, Dated the 1st August 2001

STATEMENT INDICATING THE NAMES OF BENEFICIARY AGENCIES AND  
THE NUMBER OF MBBS/BDS SEATS ALLOTTED TO THEM FROM THE  
CENTRAL POOL FOR THE ACADEMIC SESSION 2001-2002 IN THE STATE FOR  
MADHYA PRADESH

S.No.	Name of Medical/Dental College	Place	Name of Beneficiary	No. of seats
<b>M.B.B.S.</b>				
1.	Gandhi Medical College	Bhopal	M/o Defence	2
			M.E.A. (M.S.)	1
			Nagaland	1
			Dadra & N.H.	1
			Mizoram	1
			Sikkim	1
2.	G.R. Medical College	Gwalior	Nagaland	3
			Sikkim	1
			Manipur	2
3.	M.G. Medical College	Indore	M.H.A.	1
			Daman & Diu	1
			Mizoram	1
4.	Medical College	Jabalpur	Tripura	2
			Maghalaya	2
			Arunachal	3
			I.C.C.W.	1
5.	S.S. Medical College	Rewa	J & K	2
			M/o Defence	1
			Total (MBBS)	27
<b>B.D.S.</b>				
1.	College of Dentistry	Indore	Dadra & N.H.	1
			Total (BDS)	1

S.K. Rao, Director (Medical Education)

परिशिष्ट-12

**CATEGORIES OF STUDENTS ENTITLED TO CENTRAL GOVERNMENT  
RESERVED SEATS FOR ADMISSION TO MBBS/BDS AND THE  
AUTHORITIES CONCERNED**

(As per D.O. N. U, 14014/1/99-ME (UG) dated 11.01.99 from Government of India,  
Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi)

Category	Authority of whom the application are to be sent
1. Students belonging to States/ Union Territories with no medical/ Dental College	Health Secretary, State/Union Territory Government
2. Wards of Defence personnel	Liaison officer, Kendriya Sainik Board Ministry of Defence, West block-IV, Wing No.5,R.K. Puram, New Delhi - 110 066.
3. Children of para-military pesonnel i) For CRPF/BSF etc. personnel ii)For SSB/R&AW / SFF etc. personnel	Ministry of Home Affairs FR-I Section, North Block, New Delhi- 110001 Cabinet Secretariate EA-II, Section Bikaner House (Annexe) Shahjahana Road, New Delhi - 110011
4. Children of Indian Staff serving in Indian Missions abroad	Ministry of External Affairs Welfare Cell, Akbar Bhawan Chanakyapuri, New Delhi - 110021.
5. For meeting diplomatic/ bilateral commitments	Ministry of External Affairs, Student Cell, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi - 110021
6. Tibetan Refugees	Ministry of Human Resource Development Department of Education, UT-2 Section A-2/W-4, Curzon Road, Barracks, New Delhi - 110001
7. National Bravery Award Winning Children	Indian Council for Child Welfare, 4-Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi - 110002.

मध्यप्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-5-13-2002-पचपन-चिशि-1

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2001

प्रति,

संचालक,  
चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- लक्ष्यदीप के विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज कृषि, कृषि अभियांत्रिकी एवं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण।

शासन द्वारा लक्ष्यदीप के छात्रों को वर्ष 2001 के बाद के शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिये एक सीट आरक्षित की जाने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु कार्यवाही की जाना सनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

डी.एस. राय  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग

**प्रारूप-14**

**बंध पत्र**

रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे  
मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों  
द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी  
..... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ ।  
2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल तथा डेंटल स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम 2015को  
भलीभांति पढ़कर समझ लिया है ।

3- मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूँ ।

4- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-

- अ. मैं चिकित्सा/दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्देशित स्थानों में  
विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।  
ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों पर विहित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा  
करना मेरे लिये बंधनकारी रहेगा ।

स. मैं निम्न बातों के लिए अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ :-

- (1) यह कि, मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन  
करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा ।  
(2) यह कि, विहित अवधि स्नातक पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट  
स्थान पर न करने की स्थिति में मैं शासन को अनारक्षित वर्ग हेतु रू0 5.00 लाख (रुपय पांच  
लाख मात्र) एवं अनूसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रूपये 3.00 लाख  
(रुपये तीन लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।  
(3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे  
वापस किये जावेंगे ।

द. यह कि, इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में  
किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा ।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....  
..... उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूली की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर  
आवेदक

गवाह :-

1- .....

2- .....

(परिशिष्ट-15)

दिनांक ..... से दिनांक ..... तक  
 प्रवेशित / प्रवेश निरस्त / रिक्त सीटों की अद्यतन स्थिति की जानकारी का प्रपत्र  
 शैक्षणिक सत्र 2015-16

चेकिट्टसा / दंत चिकित्सा महाविद्यालय का नाम :- .....

स. क	छात्र का नाम	ए.आई.पी.एम.टी. मैरिट		पात्रता श्रेणी	आवंटित श्रेणी	आवंटित पाठ्यक्रम का नाम (एमबीबीएस/बीडीएस)	प्रवेश तिथि	प्रवेश निरस्त का दिनांक (यदि आवश्यक हो)	प्रवेश निरस्तीकरण का कारण	वर्तमान स्थिति सीट रिक्त/भरी	संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा आवंटित सीट के आवंटन आदेश का क्रमांक एवं दिनांक
		रोल नंबर	स्टेट रैंक								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

हस्ताक्षर एवं सील  
 अधिष्ठाता/प्राचार्य



परिशिष्ट - 16

आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र  
(सादे कागज पर)

मैं ..... आत्मज्ञ श्री ..... आयु ..... वर्ष शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में ..... में निवास करता हूँ।
2. मेरे नाम से ग्राम ..... में इन्टेन्सर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रूपये ..... शब्दों में ..... की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय ..... है, इससे मुझे वार्षिक आय रूपये ..... शब्दों में ..... है।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रूपये ..... शब्दों में ..... है।
5. मेरे परिवार में गिनागुस्वार सदस्य हैं:-  
1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....  
(परिवार से आश्रय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/अश्रित माता या पिता से हैं)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रूपये ..... शब्दों में ..... है।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग ..... समय पूर्व एक आय प्रमाण-पत्र / शपथ-पत्र राशि ..... रूपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि ..... वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।  
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसी काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ..... आत्मज्ञ/पति श्री ..... आयु ..... वर्ष, निवासी ..... सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य न्या सामाजिक उत्तरदायित्व देने पर मेरे विरुद्ध आधिकारिक/पब्लिक जमानगी की जा सकती। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त आय भी जमाव लिये जायेगी। सत्यापन आज दिनांक ..... वर्ष ..... के स्थान ..... में किया गया।

हस्ताक्षर

4/2/2015 - 17

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक: सी-3-7-2013-3-एक,

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2014

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त जिला कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकार, जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश.

विषय:-स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रक्रिया का सरलीकरण।

संदर्भ:-विभाग का समसंख्यक परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक  
29 जून, 2013.

—0—

आम जनता को विभिन्न प्रयोजनों जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला, छात्रवृत्ति आदि के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदाय करने संबंधी सेवा के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित परिपत्र के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया को अधिकमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(अ) स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने की वर्तमान व्यवस्था-

वर्तमान में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अंतर्गत सेवा क्रमांक 6.1 के रूप में अधिसूचित है। उक्त सेवा प्राप्त करने के लिये आवेदक को संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून 2013 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र, शपथ-पत्र के साथ निकटतम लोक सेवा केन्द्र अथवा पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निर्धारित मापदंडों की पूर्ति होने की स्थिति में पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा सात कार्य दिवसों में आवेदक को स्थानीय-निवासी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी कर दिया जाता है।

(ब) स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में नवीन व्यवस्था

1. राज्य शासन के अंतर्गत किसी भी प्रयोजन के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र हेतु तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की व्यवस्था को समाप्त करते हुए संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्ताम्पित कागज पर हस्तलिखित/

टंकित शपथ पर स्वहस्ताक्षरित, स्वप्रमाणित, घोषणा-पत्र दिये जाने के आधार पर उसे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी माना जायेगा।

## 2. पात्रता-

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की पात्रता के लिये निम्न में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक होगी-

- 1.1 आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो।
- 1.2 आवेदक मध्यप्रदेश में विगत कम से कम 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो।
- 1.3 आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल /आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम/मण्डल के ऐसे कार्यालय, जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित हैं, में नियोजित (Employed) कर्मचारी को मापदण्ड क्रमांक (1.1) अथवा (1.2) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा।
- 1.4 आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं का मध्यप्रदेश राज्य को आबंटित अधिकारी हो।
- 1.5 आवेदक मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।
- 1.6 ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हो। इसकी पुष्टि सैनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। इस कण्डिका में "परिजन" से तात्पर्य है, संबंधित भूतपूर्व सैनिक की पत्नी अथवा पति, या माता अथवा पिता।

## 3. आवश्यक दस्तावेज-

आवेदक को संलग्न प्रपत्र-1 में शपथ पर स्वहस्ताक्षरित, घोषणा-पत्र तैयार करना होगा। नवीन व्यवस्था के अंतर्गत अब आवेदक अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के स्थान पर स्वयं के द्वारा प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत करेगा। ऐसा घोषणा-पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से अस्टाम्पित कागज पर दिया जा सकेगा अर्थात् इसके लिए किसी प्रकार के स्टाम्प पेपर क्रय करने अथवा नोटरी से

अनुप्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि गलत स्वप्रमाणीकरण अथवा गलत घोषणा-पत्र देने पर आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं विधि के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के अतिरिक्त आवेदक को अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी।

#### 4. प्रक्रिया-

4.1 यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, जो कि अब तक पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के आधार पर जारी किये थे, उक्त व्यवस्था को और अधिक सरलीकृत करते हुए अब किसी लोक सेवा केन्द्र पर जाकर अथवा पदाभिहित अधिकारी/सक्षम अधिकारी के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी विभाग की किसी योजना का लाभ लेने के लिये अथवा किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने के लिये अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक दस्तावेज के रूप में जहां भी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है, वहां अब आवेदक का निर्धारित प्रपत्र 1 में भरकर दिया गया स्वहस्ताक्षरित एवं स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) पर्याप्त एवं मान्य होगा। आवेदक से संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जायेगी और स्थानीय निवास के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को स्वीकार किया जायेगा।

4.2 उपरोक्त के परिपेक्ष्य में समस्त विभाग अपनी उन सभी योजनाओं/सेवाओं का चिन्हांकन तत्काल करेंगे जिनके प्रदाय हेतु अनिवार्य दस्तावेज के रूप में स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होता है। इन सभी सेवाओं के लिये स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को स्वीकार करने संबंधी दिशानिर्देश विभागों द्वारा 31 अक्टूबर 2014 तक अनिवार्य रूप से जारी कर दिये जाएंगे।

- 4.3 यदि भारत सरकार की किसी योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए अथवा किसी कानूनी अनिवार्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की बाध्यता है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित व्यक्ति के सादे कागज पर आवेदक के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) के आधार पर संबंधित तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
5. आवेदक के स्थानीय निवासी हेतु स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को मान्य किये जाने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है एवं घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्य प्रथमदृष्टया आवेदक के स्थानीय निवासी नहीं होने के बारे में जानकारी प्रदर्शित करते हैं, तो आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान कर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self-Declaration) को यथारिथिति अमान्य/आपत्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
6. संबंधित विभाग/कार्यालय (जिनके द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के आधार पर सेवा/लाभ प्रदान किया गया है), के अधिकारियों तथा सक्षम अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा आवेदकों द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच रेण्डम आधार पर नियमित रूप से करायी जायेगी। जांच के पश्चात् यदि यह सिद्ध होता है कि किसी आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर सेवा प्राप्त की गयी है, तो ऐसे प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
7. स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) स्थाई होने के कारण इसकी संधारण अवधि 20 वर्ष रहेगी।
8. नवीन व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावशील होगी। इस परिपत्र के जारी होने के परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत संदर्भित परिपत्र के माध्यम से दिनांक 29 जून, 2013 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित

सेवा क्रमांक 6.1 — “स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना”, को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित सेवाओं की श्रेणी से विलोपित (De-notify) किया जाएगा। इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही लोक सेवा प्रबंधन विभाग के सहयोग से की जावे। इस परिपत्र की कंडिका 4.3 के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले आवेदकों के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालय से संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में आवेदकों को लोक सेवा केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही विभाग के समसंख्यक संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 में वर्णित पात्रता की शर्तें इस परिपत्र की कण्डिका 2 के अनुरूप संशोधित मानी जायेंगी तथा प्रपत्र 2 में शपथ पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को मान्य किया जायेगा। अतः परिपत्र दिनांक 29 जून 2013 को तदनुसार संशोधित माना जावे।

9. घोषणा-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-‘एक’ पर संलग्न है। कोई भी व्यक्ति केवल हस्तलिपि में अथवा टंकित कराकर, जो भी सुविधाजनक हो, इस प्रारूप की पूर्ति कर अपने हस्ताक्षर द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।


10. उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही इनकी प्रति स्कूलों/कॉलेजों/अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराई जाए एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आम जनता इस नवीन व्यवस्था का लाभ ले सकें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट-एक

स्थानीय निवासी हेतु  
स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र  
(अस्ताम्पित कागज पर)



- मैं..... आत्मज/पति श्री.....आयु लगभग.....वर्ष  
शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-
1. मैं वर्तमान में .....  
में निवासरत हूँ।
  2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती ..... एवं उम्र (लगभग) .....  
वर्ष है।
  3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री-  
1. श्री/कु. .... आयु (लगभग) .....  
वर्ष  
2. श्री/कु. .... आयु (लगभग) .....  
वर्ष
  4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25  
सितम्बर, 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से  
जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)  
1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर ..... मोहल्ला..... ग्राम.....  
... तहसील..... जिला..... में वर्ष ..... में पैदा हुआ/हुई  
हूँ।  
2. मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला ..... शहर ..... तहसील .....  
.. जिला..... में विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ।  
(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष  
की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक  
कहाँ-कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)
  3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम ..... कार्यालय का नाम  
..... विभाग का नाम ..... के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त  
हुआ हूँ।
  4. मैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित..... नामक  
संस्था/निगम/मण्डल/ आयोग में ..... पद पर .....  
..... कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।  
(कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से  
सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें)

5. मैं केन्द्र शासन के ..... विभाग में .....के पद पर ..... कार्यालय .....तहसील .....जिला..... के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।  
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)
6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष ..... बैंच) अधिकारी हूँ। ..... पद पर ..... कार्यालय/मंत्रालय .....में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।  
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक ..... पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।  
(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये।)
8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि .....) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)।

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं .....आत्मज/पति श्री .....आयु .....वर्ष निवासी .....सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा-पत्र की कंडिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।  
सत्यापन आज दिनांक .....वर्ष..... को स्थान .....में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा-पत्र में किया जाये)



परिशिष्ट 1P

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-7/2013/1/3

भोपाल, दिनांक 20 मई, 2015

प्रति,

समस्त पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार)  
समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व))  
समस्त द्वितीय अपीलीय अधिकारी (कलेक्टर)  
मध्यप्रदेश

विषय:- सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा क्रमांक 6.1- कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 एवं 25 सितम्बर, 2014.


लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-308-05-01-2010 दिनांक 24.09.2011 द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी विषय लोक सेवा क्रमांक 6-1 के रूप में अधिसूचित की गई थी। तदपश्चात राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसके लिये स्व-घोषणा पत्र मान्य किया जायेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-7/2013/3-एक दिनांक 25 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके परिपेक्ष्य में लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/इकसठ-लो.से.प्र.-पी0एस0 जी0-06 दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा सिर्फ कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रयोजन के लिये सामान्यतः संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्ताम्पित कागज पर हस्तलिखित/टंकित शपथ पत्र पर स्व-हस्ताक्षरित, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी माना जायेगा, किन्तु यदि भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी योजना आदि में लाभ लेने या अन्य किसी प्रयोजन के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कानूनी बाध्यता हो तो संबंधित व्यक्ति पूर्व की भांति लोक सेवा केन्द्र में सेवा क्रमांक 6.1 के तहत अपना आवेदन दे सकेंगे। ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी परिपत्र

क्रमांक सी 3-7/2013/3/एक दिनांक 29 जून, 2013 में दिये गये मापदण्डों/प्रक्रिया के तहत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाये। इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
6.1	कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार (अपनी-अपनी अधिकारिता में)	7 कार्य दिवस	अनुभाग अधिकारी, राजस्व	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

  
 (आर.के.गजभिये)  
 उप सचिव  
 मध्यप्रदेश शासन  
 सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट- 19

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक: सी-3-7-2013-3-एक,

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2014

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त जिला कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकार, जिला पंचायत,  
मध्यप्रदेश.

विषय:-आय प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रक्रिया का सरलीकरण।

संदर्भ:-विभाग का समसंख्यक परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक  
29 जून, 2013.

—0—

आम जनता को विभिन्न प्रयोजनों के लिये आय प्रमाण पत्र प्रदाय करने संबंधी सेवा के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित परिपत्र के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(अ) आय प्रमाण-पत्र जारी करने की वर्तमान व्यवस्था-

वर्तमान में आय प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी सेवा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अंतर्गत सेवा क्रमांक 6.2 के रूप में अधिसूचित है। उक्त सेवा प्राप्त करने के लिये आवेदक को संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून 2013 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र तथा आय के उल्लेख के साथ शपथ पत्र निकटतम लोक सेवा केन्द्र अथवा पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। आय प्रमाण-पत्र की पात्रता के लिये निर्धारित मापदंडों की पूर्ति होने की स्थिति में पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा तीन कार्यदिवसों में आवेदक को आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी कर दिया जाता है।

(ब) आय प्रमाण-पत्र के संबंध में नवीन व्यवस्था-

1. राज्य शासन के अंतर्गत किसी भी प्रयोजन के लिए आय प्रमाण-पत्र हेतु तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की व्यवस्था को समाप्त करते हुए संबंधित व्यक्ति द्वारा अस्थापित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (Self-Declaration) के आधार पर व्यक्ति की आय को मान्य किया जायेगा।

2. आवेदक को संलग्न प्रपत्र-1 में स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र तैयार करना होगा। नवीन व्यवस्था के अंतर्गत अब आवेदक अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के स्थान पर स्वयं के द्वारा प्रमाणित घोषणा-पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत करेंगे। ऐसा घोषणा-पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से अस्टाम्पित कागज पर दिया जा सकेगा अर्थात् इसके लिए किसी प्रकार के स्टाम्प पेपर क्य करने अथवा नोटराइज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि गलत स्वप्रमाणीकरण अथवा गलत घोषणा-पत्र देने पर आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं विधि के अन्य विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र के अतिरिक्त आवेदक को अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि, आय प्रमाण-पत्र, जो कि अब तक पदाभिहित अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा अनुप्रमाणित शपथ-पत्र के आधार पर जारी किये थे, उक्त व्यवस्था को और अधिक सरलीकृत करते हुए अब किसी लोक सेवा केन्द्र पर जाकर अथवा पदाभिहित अधिकारी/सक्षम अधिकारी के माध्यम से आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी विभाग की किसी योजना का लाभ लेने के लिये अथवा किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त करने के लिये अथवा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये आवश्यक दस्तावेज के रूप में जहां भी आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है, वहां अब आवेदक का निर्धारित प्रपत्र 1 में भरकर दिया गया स्वहस्ताक्षरित एवं स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) पर्याप्त एवं मान्य होगा। आवेदक से संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जायेगी और आय के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को स्वीकार किया जायेगा।
4. उपरोक्त के परिपेक्ष्य में समस्त विभाग अपनी उन सभी योजनाओं/सेवाओं का चिन्हांकन तत्काल करेंगे जिनके प्रदाय हेतु अनिवार्य दस्तावेज के रूप में आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होता है। इन सभी सेवाओं के लिये आय प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को स्वीकार करने संबंधी दिशा-निर्देश विभागों द्वारा 31 अक्टूबर 2014 तक अनिवार्य रूप से जारी कर दिये जायें।
5. यदि भारत सरकार की किसी योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिए अथवा किसी कानूनी अनिवार्यता के कारण आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की बाध्यता है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित व्यक्ति के अस्टाम्पित कागज पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) के आधार पर संबंधित तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
6. आवेदक के आय हेतु स्वयं के स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को मान्य किये जाने के पश्चात् यदि कोई आपत्ति

- प्राप्त होती है एवं घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्य प्रथम दृष्टया आवेदक द्वारा अंकित आय के संबंध में त्रुटिपूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित करते हैं, तो आवेदक को सुनवाई का अवसर संबंधित कार्यालय द्वारा प्रदान कर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को यथास्थिति अमान्य/आपत्ति निरस्त किया जायेगा।
7. संबंधित विभाग/कार्यालय (जिनके द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के आधार पर सेवा/लाभ प्रदान किया गया है), के अधिकारियों द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता की जांच रेण्डम आधार पर नियमित रूप से करायी जायेगी। जांच के पश्चात् यदि यह सिद्ध होता है कि किसी आवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी के आधार पर सेवा प्राप्त की गयी है तो ऐसे प्रमाण-पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विद्यमान विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
  8. स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) रथाई होने के कारण इसकी संभारण अवधि 20 वर्ष रहेगी।
  9. नवीन व्यवस्था 1 अक्टूबर, 2014 से प्रभावशील होगी। इस परिपत्र के जारी होने के परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारण्टी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत संदर्भित परिपत्र के माध्यम से दिनांक 29 जून, 2013 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.2 -- आय प्रमाण पत्र जारी करना, को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित सेवाओं की श्रेणी से विलोपित (De-notify) किया जाता है। इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही लोक सेवा प्रबंधन विभाग के सहयोग से की जावे। इस परिपत्र की कड़िका 5 में उल्लेखित आवेदकों को आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी (तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालय से संदर्भित परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जारी होगा। ऐसे प्रकरणों में आवेदकों को लोक सेवा केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही प्रपत्र 2 में शपथ पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र (Self Declaration) को मान्य किया जायेगा। अतः परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 को तदनुसार संशोधित माना जावे।
  10. घोषणा-पत्र का प्ररूप परिशिष्ट-‘एक’ पर संलग्न है। कोई भी व्यक्ति केवल हस्तलिपि में अथवा टंकित कराकर, जो भी सुविधाजनक हो इस प्ररूप की पूर्ति कर अपने हस्ताक्षर द्वारा घोषणा-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।
  11. उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही इनकी प्रति स्कूलों/कॉलेजों/अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध कराई जाए एवं व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आम जनता इस नवीन व्यवस्था का लाभ ले सकें।
- उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट-एकआय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र  
(सादे कागज पर)

मैं ..... आत्मज श्री ..... आयु .....

वर्ष शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम से ग्राम ..... में हैक्टयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपये ..... शब्दों में ..... की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय ..... है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये ..... शब्दों में ..... है।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये ..... शब्दों में ..... है।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं:-  
1.....2.....3.....4.....5  
(परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये ..... शब्दों में ..... है।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग ..... समय पूर्व एक आय प्रमाण-पत्र /शपथ-पत्र राशि ..... रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि ..... वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।  
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ..... आत्मज/पति श्री ..... आयु .....

..... वर्ष, निवासी ..... सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक ..... वर्ष ..... को स्थान ..... में किया गया।

हस्ताक्षर

**Government of Madhya Pradesh  
Medical Education Department  
Mantralaya, Vallabh Bhawan**

**MADHYA PRADESH GOVERNMENT AUTONOMOUS  
MEDICAL AND DENTAL UNDERGRADUATE  
ADMISSION RULES- 2015  
NOTIFICATION**

**Bhopal, Dated 19/8/2015**

No.F-5- //6 /2015/1/55 The State Government hereby makes following rules for admission to under graduate Medical and Dental Courses in the State Autonomous Medical & Dental Colleges, namely :-

***Rules***

- 1.0 **TITLE** : These rules may be called as "Madhya Pradesh Government Autonomous/Government Medical and Dental Undergraduate admission rules 2015". These rules will be applicable for academic year 2015-16.
- 2.0 **DEFINITIONS**: In these rules, until the context otherwise indicates.
- 2.1 "Board" means the Central Board of Secondary Examination.
- 2.2 "College" means Government Autonomous Medical/ Dental College under the State Government.
- 2.3 "Entrance Examination 2015 " means the Entrance Examination conducted by Central Board of Secondary Examination (CBSE) AIPMT 2015.
- 2.4 "Eligibility" Examination means the examination passed by a candidate 10+2 or equivalent examination for admission in year 2015.
- 2.5 "State Government" means Government of Madhya Pradesh.
- 2.6 "Category" means Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Other Backward Classes (Non-creamy layer) and Unreserved category as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh.

- 2.7 "Class" means Military Personnel (M.P.), Freedom Fighter (F.F.), and female as specified and laid down by Government of Madhya Pradesh. Physically Handicapped (PH) means as specified and laid down by Ministry of Labour, Government of India for vocational Rehabilitation of Physically Handicapped.
- 2.8 "Selected Candidate" means such candidates who has been allotted a seat and issued the allotment letter consequent upon counselling in year 2015-16.
- 2.9 "M.C.I." means Medical Council of India.
- 2.10 "D.C.I." means Dental Council of India.
- 2.11 "Rules" means Madhya Pradesh Medical and Dental under graduate Admission Rules, 2015.

### 3.0 **GENERAL :**

- 3.1 Admission in MBBS and BDS Courses shall be governed and regulated by rules & regulations of MCI / DCI / University / State Government / Government of India / under regulations in force at the time of counselling, allotment and Admission and amended from time to time.
- 3.2 These rules shall apply to all candidates for seat allotment and Admission in the following courses and colleges :-
- A. M.B.B.S.Course: Government Autonomous Medical College, Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Rewa. and Sagar.
- B. B.D.S.Course: Government Autonomous Dental College, Indore
- 3.3 (A) The candidates must bring the same coloured photograph at the place of scrutiny and allotted institution at the time of admission which, he/she has attached in on line application form sent to CBSE. The candidate should keep 30 copies of the same photograph to be used time to time in the college allotted. CBSE Board has given specification regarding photograph as under which are to be followed.



Candidates are advised to take 30 passport size photographs with white background and one post card size (4"x6") photograph which will be retained by Medical/ Dental College. Passport size photographs are to be used for Counselling/ Admission. Before pasting the photograph candidates have to write on the back of the photograph his/her name, application numbers and merit number with ball point pen. A good quality coloured studio photograph with white background should be pasted on the specified place. The photograph should be same as has been affixed on AIPMT- 2015 exams.

The photograph must be taken on or after 01.12.2014 indicating clearly the name of candidate along with the date of taking the photograph. Photograph should not have cap or goggles. Spectacles are allowed if being used regularly. POLAROID and COMPUTER generated photos are not acceptable. The photograph are to be pasted with gum/ adhesive at the specified place properly. Photographs are not to be fixed by pin or stapled. The applications not as per these directives or with unclear photograph will be rejected (Application form in Proforma-1)

The candidates should note that if it is found that if the pasted photograph is de-shaped, handmade or computer made the candidate seat allotment / admission will be cancelled and considering it as use of unfair means the action will be taken accordingly.

In case of discrepancy found in the photographs the candidate will not be eligible for the allotment of seat and admission.

Candidate has to furnish correct information at the time of scrutiny and admission. Candidate has to sign at the time of scrutiny, admission in the college in Hindi and English and

signature should be same at all places. Any discrepancies in signature found, candidate will not be eligible for allotment /admission of seat.

- 3.4 If it is found that a candidate has hidden any relevant facts and / or provided incorrect information **while** filling up the application form, at the time of scrutiny of the documents, at the time of allotment of a seat, or at the time of his / her admission, then the admission shall be cancelled by the Dean / Principal of the college, at any time during his/her studies and FIR shall also be lodged.
- 3.5 Students found guilty of misconduct, indiscipline and absence of more than one month continuously without information would be liable to disciplinary action including **EXPULSION** from college by the Dean / Principal and **CANCELLATION OF REGISTRATION** by the University.
- 3.6 **The option given by the candidate related to the Domicile status of Madhya Pradesh State in AIPMT-2015 application form will be considered final for which AIPMT-2015 M.P. State score slip will be considered final. In case candidate fails to produce such score slip, he/she will not be given opportunity to avail the facility related to Domicile.**

#### 4. AVAILABILITY OF SEATS:-

The seats available in M.B.B.S. and B.D.S. courses are shown college wise in table no. 1.1,1.2 and 1.3 . The sanctioned seats of Government Autonomous Medical Colleges and Government Dental College shall be filled in accordance with the reservation policy of the State Government and shall be filled up by selected eligible

candidates of AIPMT 2015 Entrance Examination through counselling.

**The number of seats is liable for change.**

- 4.1 Fifteen percent seats are available for ALL INDIA CANDIDATES selected on the basis of All India Pre Medical Test -2015(AIPMT 2015) for admission to M.B.B.S. / B.D.S. course in autonomous colleges conducted by Central Board of Secondary Education in liaison with Director General of Health Services, Government of India.
- 4.2 Twenty seven seats are available in Autonomous Medical Colleges and one seat in Autonomous Dental College for Government of India NOMINEES. (See annex. 11,12) and one Unreserved seat is available in Medical College, Bhopal for students of Lakshya Deep (See annex13 and table 1.1).
- 4.3 The Government of India Nominees, are exempted from entrance examinations, however, they shall be required to fulfil academic eligibility and age criteria as described in rules 6.2 and 6.3

5.0 **RESERVATION :**

- 5.1 20% Seats are reserved for candidates belonging to scheduled tribe, 16% to scheduled caste and 14% to other backward classes(Excluding creamy layer). The remaining seats are available for Unreserved Category candidates.

The reserved category candidates must produce permanent caste certificate issued by competent authority of Govt. of M.P. in prescribed proforma. He/She will not be Eligible for reservation if fails to produce the permanent caste certificate .

- The sole responsibility will be of the candidate. The Caste certificate should bear issue No., Dispatch no., date, name and designation and seal of the issuing officer else it will Not be accepted (Proforma 4A, 4B whichever is applicable).
- 5.2 Three percent (3%) seats are reserved for admission to M.B.B.S. / B.D.S. courses for Physically Handicapped who are bonafide residents of Madhya Pradesh and belong to ST, SC, OBC and Unreserved category. This Reservation shall be horizontal.
- 5.3 As per MCI Notification No. सं.भा.आ.प.-34(41) 2008-मेडि. /54469, दिनांक 25 मार्च, 2009, Firstly, the seats will be filled up from Candidates with loco motor disability of lower limbs between 50% to 70%. In case of non availability of candidates with locomotor disability of lower limbs between 50% to 70% then such unfilled seats shall be filled up by persons with loco motor disability of lower limbs between 40% and less than 50%. In case of nonavailability of reserved candidates as per the above mentioned reservation these seats will be filled by other candidates of same category.
- 5.4 Candidate claiming admission against these seats shall have to produce a certificate, in the prescribed form, from District Medical Board and an eligibility certificate, from Superintendent Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Government of India, Ministry of Labour, Napier Town, Jabalpur. Both the certificates are necessary to be produced at the same time during the scrutiny else, the candidate will not be eligible for counselling. The eligibility certificate should not have been issued more than 3 months before the date of scrutiny.

Note:- At the time of Counselling physically handicapped candidates have to produce information regarding issue number & date of issue of the certificate issued by Vocational Rehabilitation Centre for Physically handicapped, Govt. of India, Ministry of

Labour, Napier Town, Jabalpur. Therefore it is compulsory to have the said certificate.

5.5 Following categories of handicapped will not be eligible for admission as per the instructions of MCI :-

- (A) Handicapped by hand/hands
- (B) Handicapped by eyesight.
- (C) Deafness
- (D) Handicapped of legs more than 70%

5.6 3% seats are reserved for admission to M.B.B.S./ B.D.S. course for Children of Military Personnel (MP) belonging to ST, SC, OBC and UR categories. Such reservation shall be horizontal.

- (A) Under military personnel (MP) Categories, Seats are reserved for sons/daughters of the Military Personnel (MP) class which includes Ex-Military Personnel who have served as defence employee, serving defence employee and those defence employees who died during service or who became permanently disabled during service.
- (B) Ex-Military personnel means a person who falls in the definition of Ex-Military personnel, as per directions issued by the Ministry of Defence, Government of India.
- (C) A candidate claiming admission on account of being a son/ daughter of a military personnel who died during service or son/ daughter of a military personnel who became permanently handicapped during service will have to produce a certificate of his/her father/mother as per Proforma no 3(a)

A candidate claiming admission on account of being a son/ daughter of an Ex-military personnel will have to produce the certificate of his / her father / mother being an Ex-Military person and a certificate of his / her father

/ mother having settled in Madhya Pradesh from District Military Welfare Officer of concerned district, as per Proforma no.3(a) and 3(c)

**OR**

He/She is son / daughter of a defence employee posted in the Madhya Pradesh or outside of Madhya Pradesh who is bonafide domicile of Madhya Pradesh. Such candidate shall have to produce a certificate to the extent that his / her father / mother is a bonafide resident of Madhya Pradesh and certificate that his/her father/mother is a military personnel as per proforma no 3 (b).

**OR**

He / She is son/daughter of a defence employee posted in Madhya Pradesh before first January of the year of entrance examination. Such Candidates shall have to produce a certificate of the extent that his/her Father/Mother is a defence employee posted in Madhya Pradesh before first January of the year of entrance examination.

Note : In case of any dispute regarding the eligibility of a candidate belonging to Military Personnel class the decision of Director Military Welfare, Madhya Pradesh shall be final and binding.

5.7 For legitimate son/daughter or grand son/daughter of a Freedom Fighter (FF) who are bonafide residents of Madhya Pradesh belonging to ST, SC, OBC and UR category 3% seats are reserved for admission to M.B.B.S. /B.D.S. course Reservation shall be horizontal.

5.8(A) Freedom Fighter (FF) is a person whose name is registered in the list kept in collectorate of the concerned District of Madhya Pradesh.

- 5.8(B) Candidate applying for admission under Freedom Fighter (FF) class shall have to produce a certificate, from the Collector of concerned district of Madhya Pradesh.(Proforma-5)  
No other documents will be considered as a valid proof of belonging to Freedom Fighter (FF) class.
- 5.9 30% seats for admission to MBBS/BDS course shall be reserved for Female candidates in each category i.e. ST,SC,OBC and UR category. The reservation shall be horizontal.
- 5.10 A candidate not willing for admission in any class (MP,FF,PH,) can apply in open class of his/her OWN CATEGORY. The candidates of Military Personnel (M.P.), Freedom Fighter (FF) and Physically Handicapped (PH) class who are not allotted a seat as per their merit in their class such candidates shall be eligible for seat allotment as per their respective (ST/SC/OBC/UR) category.
- 5.11 A candidate can apply for reservation under only one category and in its class of his/her choice. For those candidates who are eligible for more than one class, a separate merit list of F.F. , M.P. and P.H. will be published online after the registration and before allotment during the first round of counselling on the website of MP online www.mponline.gov.in The Candidate will have one chance to change the option of class. For this only two days will be given and after that no consideration will be entertained. If a candidate does not give an option in that case the class in which the candidate has the highest merit will be considered for the allotment.

## 6.0 Eligibility:

- 6.1 The Candidate must be a bonafide resident of Madhya Pradesh.

Any one of the following conditions will be deemed to be included as bonafide resident of Madhya Pradesh:-  
As per the M.P. Govt. G.A.D. letter no. C-3-7-2013-3-one, Bhopal dated 25 Sept. 2014 ( Annex. 17)

- (i) Applicant should be Born in M.P.
- (ii) Applicant Living in M.P. continuously since not less than 10 years.
- (iii) Applicant who is in-service/retired employee of State Government institution/corporation/Board/Commission/Established under State Government. But the employee employed in institution/corporation/board of State Government or under State Government offices situated outside the geographical boundaries of state will have to fulfil one of the criteria no. 2.(1.1) or 2.(1.2) of the notification no. C-3-7-2013-3-1 dated 25/09/2014 issued by M.P. Govt. GAD Deptt.
- (iv) An employee of Government of India allotted to M.P. State
- (v) Parents of applicant who is a person appointed in Madhya Pradesh by Hon'ble President of India/ Hon'ble Governor of M.P. on Constitutional/Legal post.
- (vi) Son/Daughter of such retired soldiers who have lived in M.P. for five years or whose relatives are living in M.P. This will be verified on the basis of the certificate issued by Sainik kalyan Sanchalnalaya. In this point relative refers to the wife or husband or Mother /Father of Ex serviceman.

**Explanation-1** As per M.P. Govt.G.A.D. Mantralaya circular no. C3-7/2013/1/3,Bhopal dated 20 May 2015 (Annex.18)

Certificate regarding bonafide resident of M.P. must be issued by the Collector or an officer authorised by the collector of the district concerned. The certificate must show reference number, date of issue, seal and designation of issuing officer.(Proforma-8)

**Explanation-2:** Guardian of a candidate means a person who is actual custodian and controller of candidate or his/her immovable property or both, in the opinion of the District Magistrate concerned, from the date of the death of candidate's father and



mother till the date of submitting application form,. Guardian will have to necessarily produce a certificate of the competent court, saying so. If the father of the candidate is not alive and the mother is alive then only mother will be considered as a natural guardian of the candidate. None else will be recognized as a guardian.

**Explanation-3:** Regarding M.P. bonafide resident certificate directive has been issued by General Administration Department Govt. of M.P. circular no. C/3/22/2010/3/1 dt. 28.10.10. Accordingly candidates have to produced bonafide resident certificate in the valid proforma after 28.10.10. The valid domicile certificate issued by the Collector of M.P. before 28-10-2010 shall be accepted.

- 6.2 (i) For admission to MBBS/BDS course, only those candidates are eligible, who have passed the qualifying examination of Higher Secondary (10+2) from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal. Passing Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology subjects individually and have secured at least minimum 50% marks in aggregate of Physics, Chemistry & Biology/Biotechnology subjects in case of Un-reserved Category and 40% marks in case of reserved category candidates. Reserved category candidates who opt for unreserved seat should secure 50% marks in Higher Secondary (10+2)(qualifying examination)in aggregate of Physics, Chemistry & Biology/Biotechnology subjects and passing in these subjects separately and also 50% marks in entrance examination AIPMT 2015. Candidates of all categories and classes are required to have passed ENGLISH as a subject in the 12th (Higher Secondary) examination of 10+2.

OR

The candidates have passed an equivalent or higher examination from any recognized Board or higher or

equivalent examination conducted by University certified by School Education Department, Government of Madhya Pradesh with passing Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology subjects individually. For foreign nationals seeking admission, eligibility shall be considered on the basis of equivalence certificate granted to them by concerned Board/University and approved by the External Affairs Ministry, Government of India.

Candidate of all categories and class are required to have passed ENGLISH as a subject in the 12th (Higher Secondary) examination of 10+2.

- (ii) For admission to MBBS/BDS course, only those candidates of Un-reserved category are eligible, who have secured minimum 50% marks out of total marks in the entrance examination A.I.P.M.T.-2015. In case of Reserved category candidates only those candidates are eligible who have secured minimum 40% marks out of total marks in the entrance examination A.I.P.M.T.-2015. **Reserved category candidates opting seat from Unreserved category must also have secured 50% marks in aggregate in Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology subjects in Higher Secondary Examination (10+2) and also must have secured minimum 50% marks out of total marks in the A.I.P.M.T.-2015.**
- (iii) Physically Handicapped (P.H.) candidates of Unreserved category should have secured not less than minimum 45% marks out of total marks in the entrance examination (i. e. AIPMT-2015) and Physically Handicapped (P.H.) candidates of Reserved category (SC/ST/OBC) should have secured not less than minimum 40% marks out of total marks in the entrance examination (i. e. AIPMT-2015).

6.3(i) No candidate shall be allowed to be admitted to a Medical/Dental College until the candidate has completed or shall complete the age of 17 years on or before 31 December 2015 of the year of entrance examination.

6.3 (ii) Upper age limits for candidates seeking admission on State Quota seats shall be 25 years as on 31 December 2015 the year of the entrance examination. Further provided that this age limit shall be relaxed by a period of 5(five) years for reserved category candidates of M.P., Scheduled Caste/Scheduled Tribes/ Other Backward classes.

Candidate must be born on or between:-

- a) 01.01.1986 to 01.01.1999 (SC/ST/OBC Category)
- b) 01.01.1991 to 01.01.1999(Unreserved)

For reckoning the age, as aforesaid, the date of birth as mentioned in the Certificate of High School Or in the MARK-SHEET of the said examination shall be the authentic documentary proof.

The evidence in support of proof of age may be considered if a candidate who otherwise satisfies the domicile requirements and who on account of being with his/her parents in a foreign country passes examination abroad, certified by the School Education Department of Government of Madhya Pradesh as equivalent to High School Certificate examination in Madhya Pradesh.

7.0 **FEE STRUCTURE** - Every candidate shall have to regularly pay fee as shown in table no.4

## 8. SECURITY DEPOSIT-

- 8.1 For admission in Govt. Autonomous Medical/Dental Colleges at the time of counselling, the candidate of Unreserved category has to pay security money Rs.10,000/- , all OBC candidates and candidates belonging to SC/ST category, whose parents/Guardians annual income is more than 3.00 lacs have to pay Rs.2,000/- towards the security deposit.
- 8.2 The candidates belonging to SC & ST category whose parents / guardians annual income is less than 3.00 lacs need not to pay any security deposit. The candidates has to produce income certificate in this regard otherwise they have to pay Rs. 2000/-.
- 8.3 Reserved category candidates will have to submit income certificates of 2014-15 at the time of scrutiny as per M.P. Govt. G.A.D. department letter no. C/3-7/2013-3-one Bhopal dated 25-9-2014 ( Annex.19),the self signed self attested income certificate in prescribed income declaration proforma(Annex-16) submitted by the candidate will be considered valid. In case of non presentation of income certificate the candidate will have to deposit security deposit of Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only). Dean/ Principal of concerned institution will get the self attested, self signed declaration furnished by such admitted candidates verified by the competent authorities. If it is proved after verification that the candidate has taken admission on the basis of false document then such certificate will be cancelled and legal action will be taken as per the prevailing rules. Admission of the candidate will be cancelled and such candidate will have to deposit Rs. 5,00,000(Rs five lac) only in the autonomous account of the concerned college as penalty and then only original documents of the candidate will be returned.
- 8.4 Candidates of OBC Category shall produce income Certificate of year 2014-15/Self declaration of income (Annex.16). Candidates classified in Creamy layer will not be eligible for reservation in OBC Category. Such candidates shall be considered in UR Category, as per their

merit. (For deciding status of creamy layer in OBC category, the criteria issued by G.A.D., Govt. of M.P. from time to time shall be applicable)

8.5 The amount of security deposit shall be refunded without any interest after successful completion of internship. In case, the candidate does not join the allotted course or the institution or discontinues study in a course and leaves college before completion of internship due to any reason, his/her claim on security deposit shall be forfeited.

8.6 **FEE REFUND:-**

A student admitted in U.G. Course through All India quota or state quota and who submits in writing, for leaving that seat, to his respective college authorities 10 days before the commencement date of last counselling of State Quota shall be entitled for refund of the deposited fee after deducting 10% fee. No Application for such refund will be entertained after the above said period and only caution money will be refunded. This will equally be applicable for the admitted candidates of State as well as candidates from out of the State.

9. **Merit List :**

- 9.1 (a) **A common All India Merit list and M.P. Merit list will be obtained from C.B.S.E. Delhi**
- 9.1(b) Two separate Merit list of Physically Handicapped (P.H.) candidates as per rule 5.3 will also be prepared category wise as per their merit and on the basis of % degree of disability of Lower-Limbs by Director of Medical education.
- 9.2 A merit list of all successful candidates shall be declared by CBSE Delhi . Merit list shall include all successful candidates

of the unreserved category who have secured not less than 50% marks in AIPMT- 2015 and who have passed qualifying examination Higher Secondary (10+2) passing Physics, Chemistry, & Biology/Biotechnology subjects separately and have secured at least minimum 50% marks in aggregate in Physics, Chemistry & Biology/Biotechnology subjects.

50% marks in qualifying examination (10+2) in aggregate of Physics, Chemistry & Biology/Biotechnology subjects and passing these subjects separately and 50% marks in AIPMT 2015 are necessary for reserved category candidates also if they opt a seat from unreserved category.

9.3 Reserved category (Scheduled Caste/scheduled Tribe /Other backward Classes). Candidates will have to secure minimum 40% marks out of total marks in A.I.P.M.T. 2015.

For Physically Handicapped (PH) candidates in AIPMT 2015 entrance examination, Physically Handicapped (PH) candidates of Unreserved (UP) category will have to secure minimum 45% marks out of total marks and Physically Handicapped (PH) candidates of reserved category will have to secure minimum 40% marks out of total marks.

9.4 There will be no waiting list in the above mentioned list.

## 10. COUNSELLING :

10.1 Information regarding counselling will be issued separately by the Director of Medical Education M.P.

10.2 First round of counselling will be online .

The process for first round of counselling will be as follows:-

(i) Registration for counselling is compulsory through M.P. Online. Candidate has to pay Rs. 500/- as registration fee, Rs. 30/- as portal fee and Rs. 100/- for

choice locking. Candidates can pay the fees by cash on M.P. online kiosk or through following modes

- a. Internet banking
- b. ATM cum debit card
- c. Credit card

Note:- Candidate has to pay Rs. 530/- at the time of registration and Rs. 100/- at the time of choice locking i.e. Total Rs. 630/- (Rs. Six Hundred thirty only) to be paid.

- (ii) Only one registration is required for Government and Private colleges.
- (iii) The online registered candidate will have to do choice filling and choice locking by themselves.
- (iv) After declaration of seat allotment by M.P. Online candidates will take printout of allotted seats to them by using password provided by M.P. Online during registration process.
- (v) After choice filling and choice locking, admission is compulsory at the allotted seat by the candidate, otherwise he/she will not be eligible for next round of counselling. Therefore it is advisable to the candidates, that they should be very careful in the choice filling. The candidate should not opt for the undesired course / college.
- (vi) Centralised scrutiny of original documents of allotted candidates will be done at Gandhi Medical College Bhopal in which candidates will have to appear in person with all the original documents.
- (vii) Such eligible candidates who have already taken admission in all India or any other state Medical/Dental College will have to produce a certificate issued by the Dean/Institute Head in which it should be mentioned that all documents have been

deposited with them. This certificate should not be more than three months old. Such candidates will have to deposit original documents compulsorily within the stipulated time limit after allotment, otherwise their provisional admission will be treated as cancelled and the vacant seat will be shown in the counselling. and also such candidate will not be eligible for next rounds of counselling. . Dean Gandhi Medical College will ensure the videography of scrutiny process.

- (viii) Admission process of eligible candidates after scrutiny will be done at G.M.C. Bhopal in which the authorised representative of concerned Autonomous Medical/Private/ Dental college will be present compulsorily who will carry out the admission process. For Admission candidate will have to be present in person with all the original documents and requisite fees. Concerned Medical / Dental College will be responsible for the videography of admission process.

- 11 The detailed programme of Offline counselling will be displayed on Director of Medical Education(M.P.)website [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) and M.P. online website [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in)

Following candidates shall be eligible for these rounds of counselling:-

- (a) Those eligible candidates who have not been allotted any seat in previous rounds of counselling.
- (b) Those Candidates who have taken admission on their allotted seats in the first round of counselling and opt for re-allocation.
- (c) If a candidate fails to register himself / herself in the first round of counselling, he/she can register in 2<sup>nd</sup> rounds of counselling but he/she will be eligible for allotment seats available at the time on merit cum choice basis



- (d) Centralised second round and subsequent rounds of Off-line counselling will be conducted at G.M.C. Bhopal in which the authorised representatives of Govt./ Private Medical/ Dental college will have to be present compulsorily.
- 12 Off-line counselling process shall be as follows:-
- (a) **Scrutiny:-** All eligible willing candidates will have to be present in person for the scrutiny with their original documents. Scrutiny related videography will be the responsibility of Dean G.M.C. Bhopal. All those candidates who got scrutiny of their documents done in earlier round need not to appear for scrutiny again but will have to be present physically during scrutiny process.
- (b) **Allotment:-** After scrutiny the eligible candidates will be allotted seat as per their merit. For seat allotment it is compulsory for the candidate to be present physically to choose course/College as per his/her merit and category. The candidate will not be eligible if not present physically. If a candidate who failed to appear on scheduled date and time but if he/she appears late any time during counselling in that case he/she will be eligible for available seats at that time according to merit and category. Dean Gandhi Medical College Bhopal will ensure the videography of allotment process.
- 13 **Admission:-** After the allotment of seats, the admission process will be done at G.M.C. Bhopal on scheduled date and time. Authorised representatives of all Govt./ Private Medical/ Dental colleges will be present there. All the allotted candidates will have to be physically present at G.M.C. Bhopal and compulsorily take admission in the concerned allotted college. The

candidate will have to deposit all the original documents and requisite fee. Concerned Medical/ Dental college will be responsible for the videography of admission process.

- (14) Allotment of left out seats in the Govt.Autonomous/ Private Colleges will be off-line the candidate will have to be present physically and deposit full annual fee and all original documents at the site of counselling compulsorily otherwise they will not be allotted seat

**15 A - Cancellation of admission:**

- (i) Cancellation of admission will mean, cancellation of admission of a candidate from the State Quota Seat due to any reason when the candidate vacates his seat willingly after having taken admission in any Government Medical/Dental College and such candidates will not participate in subsequent counseling.

It is clarified that if a candidate vacates a seat from one institution and takes admission in another institution within the State during the counseling then this procedure would be termed as upgradation/reallotment, and this procedure will continue as was done earlier.

- (ii) Following instructions are issued in respect of cancellation of admission in the Government Autonomous Medical/Dental Colleges:
- (a) The admitted candidate who desires to vacate his/her seat will have to submit his application complete in all respect with valid reasons to the Director Medical Education and Dean/Principal of the concerned Institution. The candidate will have to submit along with his/her application, the same photograph which was affixed during admission, copy of the allotment letter and self attested copy of fee receipt. Applications complete as stated above will only be considered. Director Medical Education will having taken a decision, convey such decision to concerned Dean/Principal, concerned student, MCI/DCI and concerned University. In cases where condition of seat leaving bond is applicable, the seat leaving bond amount shall have to be deposited, and then only such an application for cancellation of admission will be considered. The Director Medical Education will

inform the concerned Dean/Principal regarding such cancellation of admission and the latter will return the original documents to the concerned Student/Guardian authorized by the student. Admission cancellation slip will be generated by Director Medical Education online through MPOnline only. Cancellation of admission done by the Director Medical Education only will be considered valid.

**(b) Procedure for obtaining Admission Cancellation Slip :**

Director Medical Education will log-in through G2G on MPOnline portal where after the home page of Director Medical Education will be displayed. The link regarding admission cancellation will be displayed in the home page. On clicking this link a page will be displayed. On entering the students Roll No. of AIPMT 2015 and round of counseling and on submitting; the details regarding the candidate will be displayed. On clicking the option for cancellation and submitting by the Director Medical Education, the admission will be cancelled and admission cancellation slip will be generated, which can be obtained by the candidate from the Director Medical Education. The admission cancellation slip can also be obtained by the candidate through MPOnline portal by using his own Roll No. and password.

- 15 (B) Dean/Principal of concerned institution shall ensure submission of list regarding admitted students and students whose admission have been cancelled as below:
- (i) Dean/Principal of concerned college shall submit list of admitted students and students whose admission have been cancelled by the institution to the Director Medical Education daily by 7P.M. in Annexure 15 through email and post/special messenger.
  - (ii) Concerned institutions shall ensure display of complete list of admitted students and students whose admission have been cancelled for at least one complete year on institution website as per Annexure 15. The said list shall be sent through email and post/special messenger compulsorily to the following:
    - (a) Director Medical Education (dme12001@yahoo.com)
    - (b) MPOnline (ashish.singh@mponline.gov.in)
  - (iii) Dean/Principal of concerned institution shall ensure submission of complete list of admitted students and students whose admission have

been cancelled to the Director Medical Education M.P., concerned University, MPOnline, MCI/DCI through email and post/special messenger within 7 days from the last date of admission as scheduled, in Annexure 15.

- (iv) If the concerned institution fails to display complete list of admitted students and students whose admission have been cancelled for one year continuously or if the complete list of admitted students and students whose admission have been cancelled is not sent to the Director Medical Education M.P., concerned University, MPOnline, MCI/DCI through email and post/special messenger from time to time as stipulated or if the institution cancels the admission of students on their own, then stringent legal action will be taken against the Dean/Principal of the said institutions presuming that they have intentionally and wilfully concealed the information in order to fill the vacant seats illegally.

Due to the sensitivity and importance of the admission process, students are advised to exercise due diligence before taking admission in order to avoid financial loss, as error on the part of the student may entail debarring the student from admission for a period of next three years in any Medical/Dental Colleg

16

- (i) Only Those candidates shall be eligible for All India reverted seats who are either admitted in the seats allotted to them in previous rounds of counselling or registered but not allotted any seats in the previous rounds of counselling
- (ii) In case of vacant category seats in Physically handicapped/ Freedom fighter/ Military person class, it will be filled up by the open candidate of same category.
- (iii) Reserved category candidates will have to submit income certificates of 2014-15 at the time of scrutiny as per M.P. Govt. G.A.D. department letter no. C/3-7/2013-3-one Bhopal dated 25-9-2014, the self signed self attested income certificate in prescribed income declaration proforma(Annex-16) submitted by the candidate will be considered valid. In case of non presentation of income certificate the candidate will have to deposit security deposit of bank draft Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only).

Dean/ Principal of concerned institution will get the self attested, self signed declaration furnished by such admitted candidates verified by the competent authorities within 60 days after the last date of admission compulsorily. . If it is proved after verification that the candidate has taken admission on the basis of false document then such certificate will be cancelled and legal action will be taken as per the prevailing rules. Admission of the candidate will be cancelled and such candidate will have to deposit Rs. 5,00,000(Rs five lac) only in the autonomous account of the concerned college as penalty and then only original documents of the candidate will be returned.

- (iv) Any candidate who has been allotted a seat and College once will be eligible for re allotment on the basis of his/her merit. Such candidates will have to complete the admission process within the stipulated date by depositing the fee in concerned college.

**In case re allotment in Govt./Private Medical and Dental College 10% (Maximum Rs. 10,000 ,Rs. Ten thousands only) of annual tuition fee will be deducted and remaining amount will be refunded to the candidate.**

- (v) **The academic session shall commence as per the directives issued by the Hon'ble Supreme court of India/Govt. Of India Ministry of Health and Family welfare and it will be displayed on Director Medical Education Web site.**

17

Those candidates who are admitted in Government Autonomous Medical/Dental colleges through All India Quota 2015 are also eligible to participate in State Quota 2015 counselling and if allotted seat through State Quota, they will have to resign from All India Quota seat. .( Annexure -2)

- 18 (a) Total Reverted seats from All India Quota will be distributed category wise as per M.P. Government reservation policy. Distribution of these seats, course and college wise shall be done as per laid down procedure during counselling.
- (b) **In case, the eligible candidates to the extent of reservations in any category are not available the vacant seats will be filled up by making them available in other categories as given below:-**
- (i) The vacant seats of ST category shall be filled up by eligible SC category candidates.
- (ii) The vacant seats of SC category shall be filled up by eligible ST category candidates.
- (iii) In case, the eligible candidates to the extent of reservation in ST and SC categories are not available, the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidates.
- (iv) In case, the eligible candidates are not available in these above THREE reserved categories in the above manner, the vacant seats shall then be filled up by the eligible unreserved category candidates.
- 19 A Candidate admitted to MBBS/BDS course on the basis of previous years PMT examinations, if succeeds in the present entrance examination (AIPMT-2015), shall have to submit all the original documents with completed proforma -1 and 1(a) or photocopies thereof together with a certificate of the Dean/Head of the institution certifying that such original documents are in his custody (showing list). This certificate should not be more than three months old. On allotment of a seat the candidate shall have to present all the original documents to the authorities of the allotted college, at

the time of admission, else his/her admission will be treated as cancelled.

20. Consequent upon a candidate's allotment for a subject course and a college by Counselling, he / she shall report on the notified date and time to the Dean / Principal of the College concerned.
- 21 (a) Complete process of scrutiny and admission will be videographed showing the details of complete process of scrutiny and admission.
- 3 copies of CD of the videography** will be prepared one each will be deposited with Dean of the Concerned College, Director Medical Education, Registrar of the Concerned University. **The Videography at the time of admission will be the responsibility of concerned College** and at the time of scrutiny, the responsibility will be that of Dean, Gandhi Medical College Bhopal. List of admitted candidates of all colleges will be displayed on notice board of admission place and concerned college website. In addition to this list of admitted candidates by each college will be provided to Director Medical Education on day to day basis on the same day. This list will be displayed on concerned college web site and will also be pasted on notice board.
- (b) A committee will be constituted under the Chairmanship of Director Medical Education for every round of counselling to supervise the counselling process. The Joint Director Medical Education will be the Coordinator and Nodal Officer, and will be responsible for complete counselling and admission process as per rules.
- (c) At the time of admission, finger prints of all fingers of both hands of the candidates will be ensured by the concerned Dean/Principal of Medical/ Dental college. Dean Gandhi Medical college will ensure the arrangement for finger printing.

- (22) The College Admission Committee consisting of Dean / Principal/ and four Medical teachers out of which at least two Medical Teachers belonging to reserved category shall also verify the original documents. If found eligible, he/she shall be given admission in a course and the college allotted to the candidate. Dean/ Principal may appoint authorised representative on his/her behalf.
- (22.1) Admission process after seat allotment in counselling will be held in Gandhi Medical College, Bhopal by concerned college Admission Committee on scheduled date and time. Candidate must be present at the time of admission process. Videography of complete process of admission will be done. A separate programme and schedule regarding this will be issued by Director Medical Education.  
List of admitted candidates of all colleges will be displayed on notice board of admission place and concerned college website. In addition to this list of admitted candidates by each college will be provided to Director Medical Education on day to day basis on the same day.
- (22.2) Original documents of admitted candidates will be kept in the custody of concerned college admitted through All India Quota or State quota. Concerned college will issue a certificate regarding the same.
- (22.3) Original documents shall be returned to the bonded candidate on completion of their Course and internship only as per prevailing directives of the Government of Madhya Pradesh. Original documents shall be returned to the candidates who are not bonded only on completion of their course and internship or submitting their resignation, on leaving from the course and the college due to some reason .



(22.4)The candidates shall have to undergo TEST FOR MEDICAL FITNESS and shall be admitted only if they are found MEDICALLY FIT

### 23 . EXECUTION OF A BOND –

1. **Rural Service Bond** :-A candidate admitted to MBBS/BDS course shall have to execute a BOND that he/she after completion of internship shall serve the Government of Madhya Pradesh for a specified period at a place specified by the State Government.  
Bond Value will be Rs. 5.00 lacs (Rs. Five lac only) for student of Un-reserved category and Rs. 3.00 lacs (Rs.three lac ) for student of ST, SC and OBC (except creamy layer) category candidate. (Proforma-14)  
**Term and conditions of the bond will be equally applicable to the candidates admitted through state quota, all India quota and Government of India nominee**
  2. **Seat Leaving Bond** - If any admitted candidate left/resign from the admitted seat after last round of MBBS course counselling and there is no possibilities to fill up that seat, in that case, the candidate has to deposit Rs. 5.00( Rs. Five lac only) as monetary penalty in the concerned autonomous colleges and not eligible for admission in any Government Autonomous Medical colleges for next three years.
- 24 Detailed programme of the counselling will be advertised in the leading News papers of the State or any change in the programme shall also be advertised in the news papers besides uploading the same information on the website. [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in)

- 25 Commencement of academic session and last date of admission on seats falling vacant due to any reason will be as per the orders of H'able Supreme / High court or M.C.I. and the action will be taken accordingly and the information will be displayed on the web site of Direcor Medical Education M.P.([www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in))
- 26 The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. In case, any dispute related to the interpretation of these rules and amendments thereto, the decision of the State Government shall be final and binding on all concerned. In case of any dispute, Hindi version Rules published in the Gazette of Madhya Pradesh will be acceptable
- 27 The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. The information in this regard will be available in the website of Director Medical Education and it will not be published separately. Therefore it is advised to the candidate to be in continuous contact with the Director Medical Education Website  
[www.medical education.mp.gov.in](http://www.medical education.mp.gov.in)  
In case of any dispute, Hindi version Rules published in the Gazette of Madhya Pradesh will be acceptable.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. S. KUMRE, Dy. Secy.

**RULES FOR ADMISSION TO STATE QUOTA SEATS IN UNDER  
GRADUATE MEDICAL (MBBS) AND DENTAL (BDS) COURSES IN  
PRIVATE UNAIDED MEDICAL AND DENTAL COLLEGES IN THE STATE**

**OF  
MADHYA PRADESH**

**DEPARTMENT OF MEDICAL EDUCATION  
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH,  
BHOPAL(M.P.)**

**TEL - 0755-2551719, 2550186**

**Fax - 0755-2551719**

**Website- [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in)**

**Medical Education Department  
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal**

**NOTIFICATION**

No. F-5-116 /2015/1/55 dated 19/8/2015. In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No.21 of 2007), the State Government, hereby, makes the following rules relating to admission to Under Graduate Medical (MBBS) & Dental (BDS) Courses in Private Unaided Medical and Dental Colleges in the State of Madhya Pradesh.

**RULES**

**1. Short title and Commencement:**

- (1) These rules may be called the "Madhya Pradesh Private Medical (M.B.B.S) and Dental (B.D.S.) Under Graduate Courses Admission Rules, 2015".
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette and shall remain in force for the academic year, 2015-16

2. **DEFINITIONS:** In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhinyam, 2007 (No. 21 of 2007),
- (b) "Board" means the Central Board of Secondary Education (C.B.S.E.) ,Delhi.
- (c) "College" means **Private** unaided Medical **or** a Dental College in the State of Madhya Pradesh;
- (d) "Examination" means AIPMT-2015 (All India Pre-Medical/Pre Dental Entrance Test-2015) conducted by C.B.S.E. Delhi.
- (e) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- (f) "Scheduled Castes" means Scheduled castes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- (g) "Scheduled Tribes" means Scheduled Tribes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- (h) " Government" means Government of Madhya Pradesh;
- (i) "MCI" means Medical Council of India;
- (j) "DCI" means Dental Council of India;
- (k) "Admission and Fee Regulatory Committee" (A.F.R.C ) means the Committee constituted by the State Government under the Act for the supervision and regulation of admission and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a professional educational institution;
- (l) "Competent Authority" means any Authority as authorized by the State Government in this behalf:
- (m) "NRI" means Non-resident Indian shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of Section 115 C of the of Income Tax Act, 1961 (43 of 1961)

### 3. GENERAL :

- 3.1 Under Graduate Courses in MBBS and BDS shall be governed and regularised by MCI / DCI / University / the college/ State Government / Government of India / under the rules and regulations in force at the time of allotment, admission and amended from time to time.
- 3.2 These rules shall apply to all colleges & candidates for allotment of seats and admission in the following courses and colleges :-
- A. M.B.B.S. Course of Private unaided Medical Colleges in the State of M.P.
- B. B.D.S. Course of Private unaided Dental Colleges, in the State of M.P.
- 3.3 Correct information must be furnished and produced whenever required. Before filling up the online registration form the candidates are advised to read and understand the rules thoroughly and then fill up complete and correct required information at the time of registration, failing which candidate shall not be entitled to seat allotment and admission.
- 3.4 Candidate shall also furnish correct information required at the time of scrutiny and admission. Candidate will do his/her complete signature in English as well as in Hindi at the time of scrutiny and admission in the college at all the required places. In case of difference found in the signatures at the different places, the candidate shall not be eligible for seat allotment/admission.
- 3.5 If it is found that a candidate has hidden any relevant facts and / or provided incorrect information while filling up the online registration form, at the time of scrutiny of the documents at the time of allotment of a seat, or at the time of his / her admission, then the admission shall be cancelled by the Dean / Principal of the college, at any time during his/her studies.
- 3.6 Students found guilty of misconduct, indiscipline and absence would be liable to disciplinary action including EXPULSION from

college by the Dean / Principal and CANCELLATION OF REGISTRATION by the University and FIR. against such candidates would also be lodged.

3.7 The allotment of seats will be done through counselling. The detailed instructions regarding counselling will be issued separately.

3.8 **Photograph-** The candidates must bring the same colour photograph at the place of scrutiny and allotted institution at the time of admission which, he/she has attached in online application form sent to CBSE. The candidate should keep 30 copies of the same photograph to be used time to time in the college allotted.

CBSE Board has given specification regarding photograph as under which are to be followed.

Candidates are advised to take 30 passport size photographs with white background and one post card size (4"x6") photograph which will be retained by Medical/ Dental College. Passport size photographs are to be used for Counselling/ Admission. Before pasting the photograph candidate has to write on the back of the photograph his/her name, application numbers and merit number with ball point pen. A good quality coloured studio photograph with white background should be pasted on the specified place. The photograph should be same as has been affixed on AIPMT- 2015 exams.

The photograph must be taken on or after 01.12.2014 indicating clearly the name of candidate along with the date of taking the photograph. Photograph should not have cap or goggles. Spectacles are allowed if being used regularly. POLAROID and COMPUTER generated photos are not acceptable. The photograph is to be pasted with gum/ adhesive at the specified place properly. Photographs are not to be fixed by pin or stapled. The applications not as per these directives or with unclear photograph will be rejected (Application form in Proforma-1)

The candidates should note that if it is found that the pasted photograph is de-shaped, hand made or computer made then the candidate seat allotment / admission will be cancelled and considering it as use of unfair means the action will be taken accordingly.

**3.9** The option given by the candidate related to the Domicile status of Madhya Pradesh State in AIPMT-2015 application form will be considered final for which AIPMT-2015 M.P. State score slip will be considered final. In case candidate fails to produce such score slip, he/she will not be given opportunity to avail the facility related to Domicile.

**3.10** In case of re allotment in Govt./Private Medical and Dental College 10% (Maximum Rs. 10,000 ,Rs. Ten thousands only) of annual tuition fee will be deducted and remaining amount will be refunded to the candidate.

#### **4. AVAILABILITY OF SEATS:-**

**4.1** As per Hon'ble Supreme Court order in civil appeal No. 4060/2009 and I.A.69-70 dated 24-1-2014, 50% seats of remaining seats after deducting 15% NRI Quota seats from the total no. of seats, will be filled by M.P.State Govt. The 15% NRI seats will be filled in the manner as directed by the Hon'ble Supreme Court. College wise list of seats available in M.B.B.S. and B.D.S. courses are shown in table number 1&2. In case permission is granted by Govt. Of India to any new college, the same will also be included.

**4.2** Every candidate must abide by the Admission rules of M.P. Government.

**4.3** All disputes related to Counselling to Under Graduate courses of Private unaided Medical/Dental Colleges will be decided by the Director of Medical Education, Govt. of M.P.

4.4 All disputes related to Admission and fee of Under Graduate courses of Private unaided Medical/Dental Colleges will be decided by Admission and Fee Regulatory Committee (AFRC).

5. **RESERVATION :-**

- (i) 20% Seats are reserved for candidates belonging to Scheduled tribes of M.P., 16% seats to Scheduled castes of M.P. and 14% seats to Other Backward Classes other than creamy layer of OBC of Madhya Pradesh or as amended from time to time. It is clarified that all candidates belonging to reserved category (ST/SC/OBC) and seeking admission against state Quota reserved seats must be domicile of Madhya Pradesh State.
- (ii) In each category, 30% Reservation for woman candidates shall be made on merit-cum-option basis. This Reservation shall be horizontal.
- (iii) Candidates claiming to be a candidate belonging to ST / SC/ OBC (Non Creamy layer) category of Madhya Pradesh shall have to provide original caste certificate issued by the Competent Authority/ District Collector of M.P. under his signature and official seal, at the time of scrutiny of his/her original documents . Permanent Caste Certificate is compulsory for admission to reserve category. Otherwise candidate will not be allowed to participate in the counselling for the reserved category seats. Certificate must contain dispatch No., date and signature of the officer and seal.
- (iv) Three percent (3%) seats are reserved for admission to M.B.B.S. / B.D.S. courses for Physically Handicapped (P.H.) who are bonafide residents of Madhya Pradesh and belong to ST, SC, OBC and Unreserved category. This Reservation shall be horizontal.



As per MCI Notification No. सं.भा.आ.प.-34(41) 2008-मेडि./54469, दिनांक 25 मार्च, 2009, firstly, the seats will be filled up from Candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70%. In case of non availability of candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% then such unfilled seats shall be filled up by persons with locomotory disability of lower limbs between 40% and less than 50%. In case of non availability of reserved candidates as per the above mentioned reservation these seats will be filled by other candidates of same category

Candidate claiming admission against these seats shall have to produce a certificate, in the prescribed form, from District Medical Board and an eligibility certificate, from Superintendent Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Government of India, Ministry of Labour, Napier Town, Jabalpur. Which should not have been issued more than 3months period from the date of Counselling Both the certificates are necessary to be produced at the same time, during the scrutiny or else, the candidate will not be eligible for counselling.

Following categories of handicapped will not be eligible for admission as per the instructions of MCI :-

- (A) Handicapped by hand/hands
- (B) Handicapped by eyesight.
- (C) Deafness
- (D) Handicapped of legs more than 70%

(v) If eligible candidates are not available for admission on the reserved seats for Physically Handicapped (PH) class of any

category such vacant seats shall be included in the OPEN [X] seats of the same category.

- (6) In case, the eligible candidates to the extent of reservations in any category are not available the vacant seats will be filled up by making them available in other categories as given below:-
- (A) The vacant seats of ST category shall be filled up by eligible SC category candidates.
  - (B) The vacant seats of SC category shall be filled up by eligible ST category candidates.
  - (C) In case, the eligible candidates to the extent of reservation in ST and SC categories are not available, the vacant seats shall be filled up by eligible OBC category candidates.
  - (D) In case, the eligible candidates are not available in these above THREE reserved categories in the above manner, the vacant seats shall then be filled up by the eligible unreserved category candidates.

7. Fee Structure :

- (a) For BDS Courses: As decided by Admission and Fee regulatory Committee.( AFRC).
- (b) For MBBS Courses: As decided by Admission and Fee regulatory Committee.( AFRC).

8. SECURITY DEPOSIT:

- 8.1 For admission in Private Medical/Dental Colleges at the time of counselling, the candidate of Unreserved category has to pay security

money Rs.10,000/- , all OBC candidates and candidates belonging to SC/ST category, whose parents/Guardians annual income is more than 3.00 lacs have to pay Rs.2,000/- towards the security deposit.

- 8.2 The candidates belonging to SC & ST category whose parents / guardians annual income is less than 3.00 lacs need not to pay any security deposit. The candidates has to produce income certificate in this regard otherwise they have to pay Rs. 2000/-.
- 8.3 Reserved category candidates will have to submit income certificates of 2014-15 at the time of scrutiny as per M.P. Govt. G.A.D. department letter no. C/3-7/2013-3-one Bhopal dated 25-9-2014(Annex. 19) ,the self signed self attested income certificate in prescribed income declaration proforma(Annex-16) submitted by the candidate will be considered valid. In case of non presentation of income certificate the candidate will have to deposit security deposit of Rs.10, 000/- (Rupees Ten Thousand only). Dean/ Principal of concerned institution will get the self attested, self signed declaration furnished by such admitted candidates verified by the competent authorities. If it is proved after verification that the candidate has taken admission on the basis of false document then such certificate will be cancelled and legal action will be taken as per the prevailing rules. Admission of the candidate will be cancelled and such candidate will have to deposit Rs. 5, 00,000(Rs five lac) only in the account of Director Medical Education as penalty and then only original documents of the candidate will be returned.
- 8.4 Candidates of OBC Category shall produce income Certificate of year 2014-15/ self signed self attested income certificate in

prescribed income declaration proforma (Annex-16). Candidates classified in Creamy layer will not be eligible for reservation in OBC Category. Such candidates shall be considered in UR Category, as per their merit. (For deciding status of creamy layer in OBC category, the criteria issued by G.A.D., Govt. of M.P. from time to time shall be applicable)

8.5 The amount of security deposit shall be refunded without any interest, after successful completion of internship. In case, the candidate does not join the allotted course or the institution or discontinues study in a course and leaves college before completion of internship due to any reason, his/her claim on security deposit shall be forfeited.

9. **ELIGIBILITY :**

(a) The Candidate must be a citizen of India

AND

For admission to MBBS/BDS course, only those candidates of Un-reserved category are eligible, who have passed the qualifying examination of Higher Secondary(10+2) from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal, passing Physics, Chemistry and Biology/ Biotechnology subjects individually and have secured at least minimum 50% marks in aggregate in these subjects and also must have secured minimum 50% marks out of total marks in the entrance examination A.I.P.M.T.-2015. In case of reserved category candidates only those candidates are eligible who have passed the qualifying examination of Higher Secondary (10+2) from Board of Secondary

Education, Madhya Pradesh, Bhopal. passing Physics, Chemistry and Biology/ Biotechnology subjects individually and have secured at least minimum 40% marks in aggregate in these subjects and also must have secured minimum 40% marks out of total marks in the entrance examination A.I.P.M.T.-2015. **Reserved category candidates opting seat from Unreserved category must also have secured 50% marks in aggregate in Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology subjects in Higher Secondary Examination. (10+2) and also must have secured minimum 50% marks out of total marks in the A.I.P.M.T.-2015.**

OR

The candidates have passed an equivalent or higher examination from any recognized Board or higher or equivalent examination conducted by University certified by School Education Department, Government of Madhya Pradesh with passing Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology subjects individually and have secured at least minimum 50% marks in aggregate in case of unreserved category candidates and minimum 40% marks in case of reserved category candidates. For foreign nationals seeking admission, eligibility shall be considered on the basis of equivalence certificate granted to them by concerned Board/University and approved by the External Affairs Ministry, Government of India.

**Candidates of all categories and class are required to have passed ENGLISH as a subject in the 12th (Higher Secondary) examination of 10+2.**

(b) **For Physically Handicapped (PH) Candidates:-**

Physically Handicapped (P.H.) candidates of Unreserved category should have secured not less than minimum 45% marks out of total marks in the entrance examination (i. e. AIPMT-2015 ) and Physically Handicapped (P.H.) candidates of Reserved category (SC/ST/OBC) should have secured not less than minimum 40% marks out of total marks in the entrance examination (i. e. AIPMT-2015).

(c) Reserve category candidates must be a Domicile of M.P. and have a valid caste certificate of M.P. State issued by the competent authority.

**As per the M.P. Govt. G.A.D. letter no. C-3-7-2013-3-one, Bhopal dated 25Sept. 2014( Annex. 17) any one of the following conditions will be deemed to be included as bonafide resident of Madhya Pradesh:-**

- (i) Applicant should be Born in M.P.
- (ii ) Applicant Living in M.P. continuously since not less then 10 years.
- (iii) Applicant who is in-service/retired employee of State Government institution/corporation/Board/Commission/Established under State Government. But the employee employed in institution/corporation/board of State Government or under State Government offices situated outside the geographical boundaries of state will have to fulfil one of the criteria no. 2.(1.1) or 2.(1.2) of the notification no. C-3-7-2013-3-1 dated 25/09/2014 issued by M.P. Govt. GAD Deptt.
- (iv) An employee of Government of India allotted to M.P. State
- (v) Parents of applicant who is a person appointed in Madhya Pradesh by Hon'ble President of India/ Hon'ble Governer of M.P. on Constitutional/Legal post.
- (vi) Son/Daughter of such retired soldiers who have lived in M.P. for five years or whose relatives are living in M.P. This will be verified on the basis of the certificate issued by Sainik kalyan

Sanchalnalaya. In this point relative refers to the wife or husband or Mother /Father of Ex serviceman.

**Explanation-1** As per M.P. Govt.G.A.D. Mantralaya letter no. C3-7/2013/1/3, Bhopal dated 20may 2015(Annex18) Certificate regarding bonafide resident of M.P. must be issued by the Collector or an officer authorised by the collector of the district concerned. The certificate must show reference number, date of issue, seal and designation of issuing officer.(Proforma-8)

**Explanation-2:** Guardian of a candidate means a person who is actual custodian and controller of candidate or his/her immovable property or both, in the opinion of the District Magistrate concerned, from the date of the death of candidate's father and mother till the date of submitting application form,. Guardian will have to necessarily produce a certificate of the competent court, saying so. If the father of the candidate is not alive and the mother is alive then only mother will be considered as a natural guardian of the candidate. None else will be recognized as a guardian.

**Explanation-3:** Regarding M.P. bonafide resident certificate directive has been issued by General Administration Department Govt. of M.P. circular no. C/3/22/2010/3/1 dt. 28.10.10. Accordingly candidates have to produce bonafide resident certificate in the valid proforma after 28.10.10. The valid domicile certificate issued by the Collector of M.P. before 28-10-2010 shall be accepted.

(d) Age:-

- i) No candidate shall be allowed to be admitted to a Private unaided Medical/Dental Colleges until the candidate has completed or shall

complete the age of 17 years on or before 31 December of the year of entrance examination (i.e. 31 Dec.2015).

- ii) Upper age limit for candidates seeking admission on State Quota seats shall be 25 years as on 31 December 2015 the year of the entrance examination. Further provided that this age limit shall be relaxed by a period of 5(five) years for reserved category candidates of M.P., Scheduled Caste/Scheduled Tribes/ Other Backward classes.

Candidate must be born on or between:-

- a) 01.01.1986 to 01.01.1999 (SC/ST/OBC Category)  
b) 01.01.1991 to 01.01.1999(Unreserved)

**For reckoning the age, as aforesaid, the date of birth as mentioned in the Certificate of High School or in MARK-SHEET of the said examination shall be the authentic documentary proof.**

The evidence in support of proof of age may be considered if a candidate who otherwise satisfies the domicile requirements and who on account of being with his/her parents in a foreign country passes examination abroad, certified by the School Education Department of Government of Madhya Pradesh as equivalent to High School Certificate examination in Madhya Pradesh.

- e) **Reserved category candidates of out of M.P. state shall be considered in Un-reserved category.**

#### **10 Merit List :**

- (i) A common All India Merit list obtained from C.B.S.E. Delhi shall include All qualified candidates who have secured not less than aggregate minimum 50%



marks in Physics, Chemistry and Biology/ Biotechnology subjects in the qualifying Higher Secondary Exam. (10+2) and minimum 50% marks out of total marks in the entrance examination (i.e. AIPMT-2015) and thereafter All the qualified candidates of reserved category who have secured not less than aggregate minimum 40% marks in Physics, Chemistry and Biology/ Biotechnology subjects in the qualifying Higher Secondary Exam. (10+2) and minimum 40% marks out of total marks in the entrance examination (i.e.AIPMT-2015).

**Aggregate minimum 50% marks in Physics, Chemistry and Biology/ Biotechnology subjects in the qualifying Higher Secondary Examination (10+2) and minimum 50% marks out of total marks in the entrance examination (i.e.AIPMT-2015) are necessary for reserved category candidates also if they opt a seat from unreserved category.**

Merit List shall also include Physically Handicapped (P.H.) candidates of Unreserved category who have secured not less than minimum 45% marks out of total marks in the entrance examination (i. e. AIPMT-2015) and Physically Handicapped (P.H.) candidates of Reserved category (ST/SC/OBC) who have secured not less than minimum 40% marks out of total marks in the entrance examination (i. e. AIPMT-2015).

(ii)- A separate merit list of all qualified candidates of reserved categories (ST/SC/OBC) domicile of M.P. State will be prepared who have secured not less than aggregate minimum 40% Marks in Physics, Chemistry and Biology/ Biotechnology subjects in the qualifying Higher Secondary Examination (10+2) and minimum 40% marks out of total marks in the entrance examination (i.e.AIPMT-2015).

(iii).In all category wise lists, the PH candidate will be shown separately according to their merit.

(iv)There will be no waiting list

- (v). A common merit list of all the eligible candidates of all the categories and class shall be procured from CBSC New Delhi for AIPMT-2015

## **11 COUNSELLING:-**

- 11.1 Information regarding counselling will be issued separately by the Director Medical Education M.P.
- 11.2 First round of counselling will be online . The process will be as follows:-

(i) Registration for counselling is compulsory through M.P.Online. Candidate has to pay Rs. 500/- as registration fee, Rs. 30/- as portal fee and Rs. 100/- for choice locking. Candidates can pay the fees by cash on M.P.online kiosk or through following modes

- a. Internet banking
- b. ATM cum debit card
- c. Credit card

**Note:-** Candidate has to pay Rs. 530/- at the time of registration and Rs. 100/- at the time of choice locking i.e. Total Rs. 630/- (Rs. Six Hundred thirty only) to be paid.

- (ii) Only one registration is required for Government and Private Colleges.
- (iii) The online registered candidate has to do choice filling and choice locking by themselves.
- (iv) After declaration of seat allotment by M.P.Online candidates can take printout of allotted seat to them by using password provided by M.P.Online during registration process.
- (v) After choice filling and choice locking, admission is compulsory at the allotted seat by the candidate, otherwise he/she will not be eligible for next round of counselling.

Therefore it is advisable that candidates should be very careful in the choice filling. The candidate should not opt for the course / college for which he/she is not willing.

- (vi) Centralised scrutiny of original documents of allotted candidates will be done at Gandhi Medical College Bhopal in which candidates will have to appear in person with all the original documents. Dean Gandhi Medical College will ensure the videography of scrutiny process.
- (vii) Such eligible candidates who have already taken admission in all India or any other state Medical/Dental College will have to produce a certificate issued by the Dean/Institute Head in which it should be mentioned that all documents have been deposited with them. This certificate should not be more than three months old. Such candidates will have to deposit original documents compulsorily within the stipulated time limit after allotment, otherwise their provisional admission will be treated as cancelled and the vacant seat will be shown in the counselling and also such candidate will not be eligible for next rounds of counselling..
- (viii) Admission process of eligible candidates after scrutiny will be done at Gandhi Medical College, Bhopal in which the authorised representative of concerned Autonomous Medical/Private/ Dental College will be present compulsorily who will carry out the admission process. For Admission candidate will have to be present in person with all the original documents and requisite fees. Concerned Medical / Dental College will be responsible for the videography of admission process.
- 12 The detailed programme of subsequent rounds of off-line counselling will be displayed on Director of Medical Education (M.P.) website [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) and M.P. online website [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in)
- Following candidates shall be eligible for these rounds of counselling:-

- (a) Those eligible candidates who have not been allotted any seat in previous rounds of counselling.
- (b) Those Candidates who have taken admission on their allotted seats in the first round of counselling and opt for re-allocation.
- (c) If a candidate fails to register himself / herself in the first round of counselling, he/she can register in subsequent rounds of counselling but he/she will be eligible for allotment seats available at the time on merit cum choice basis

13 Centralised offline counselling will be conducted at G.M.C. Bhopal in which the authorised representatives of Govt./ Private Medical/ Dental college will have to be present compulsorily.

14 Off-line counselling process shall be as follows:-

- (a) **Scrutiny:-** All eligible willing candidates will have to be present in person for the scrutiny with their original documents. Scrutiny related videography will be the responsibility of Dean G.M.C. Bhopal. All those candidates who got scrutiny of their documents done in earlier round need not to appear for scrutiny again but will have to be present physically during scrutiny process.
- (b) **Allotment:-** After scrutiny the eligible candidates will be allotted seat as per their merit. For seat allotment it is compulsory for the candidate to be present physically to choose course/College as per his/her merit and category. The candidate will not be eligible if not present physically. If a candidate who failed to appear on scheduled date and time but if he/she appears late any time during counselling in that case he/she will be eligible for available seats at that time according to merit and category. Dean Gandhi Medical

College Bhopal will ensure the videography of allotment process.

- 15 Admission** After the allotment of seats, the admission process will be done at G.M.C. Bhopal on scheduled date and time. Authorised representatives of all Govt./ Private Medical/ Dental colleges will be present there. All the allotted candidates will have to be physically present at G.M.C. Bhopal and compulsorily take admission in the concerned allotted college. The candidate will have to deposit all the original documents and requisite fee. Concerned Medical / Dental College will be responsible for the videography of admission process.
- 16 Allotment of left out seats in the Govt.Autonomous/ Private Colleges will be off-line. The candidate will have to deposit full annual fee and all original documents at the site of counselling compulsorily otherwise they will not be allotted seat.
- 17 The counselling committee shall consist of the following, namely:-
- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| (a) Director Medical Education.  | - | Chairman         |
| (b) Joint Director of Medical Education .  | - | Member Secretary |
| (c) An officer nominated by the Chairman, Admission and Fee Regulatory Committee:              | - | Member           |
| (d) Three representatives to be nominated by the Chairman of the Committee.                    | - | Member           |
| (e) Secretary of the Associations of Professional unaided private dental and medical colleges. | - | Member           |

- 18 The programme for counselling shall be displayed on the DME website [www. medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) Any amendment in Counselling schedule or relevant instruction will be notified in the aforesaid DME Web Site. All candidates are advised to regularly check the DME website for any updation, clarification and Information.
- 19 A Candidate admitted to MBBS/BDS course on the basis of previous year's PMT examinations, if succeeds in the present entrance examination (AIPMT-2015), shall have to submit all the attested photocopies of documents together with a certificate of the Dean/Head of the institution, which should not be more than 3 months old, certifying that original documents are in his custody (showing list). On allotment of a seat the candidate shall have to present all the original documents to the authorities of the allotted college at the time of admission.
- 20
- (1) After each round of counselling the admission process of all the students who have been allotted a seat, would take place at a centralized venue i.e. Gandhi Medical College, Bhopal. All eligible students who are allotted seats from State Quota seats of Private Colleges will be required to complete the formalities of admission by depositing full annual fee and original documents to the Admission Committee of concerned college.
- (2) Complete process of scrutiny and admission will be videographed showing the details of complete process of scrutiny and admission. 4 copies of CD of the Videography will be prepared one each will be deposited with Dean of the Concerned College, Director Medical Education, Registrar of the Concerned University, and AFRC. The Videography at the time of admission will be the responsibility of the concerned college and at the time of scrutiny, the responsibility will be that of Dean, Gandhi Medical College Bhopal. The Dean G.M.C. Bhopal will also ensure videography of Admissions and will submit a C. D. of the same for record purpose to the D.M.E. Bhopal.

- (3) The list of admitted candidates in Private unaided Medical/Dental Colleges will be provided to the Director Medical Education, AFRC by the Dean/Principal of the concerned college after every round of counselling. This list will also be displayed on concerned College website and notice board Counselling venue and will also be displayed on D.M.E. website [www. medicaleducation. mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) and AFRC website.
- 3.1 The respective Dean/Principal of Private unaided colleges will be responsible to furnish vacant seats status on the stipulated date and time. In case of non compliance of instructions of DME, the District Collector concerned or his authorised representative will be authorised to obtain the vacant seats status and furnish the same to DME.
- (4) A committee will be constituted under the Chairmanship of Director Medical Education for every round of counselling to supervise the counselling process. The Joint Director Medical Education will be the Coordinator and Nodal Officer, and will be responsible for complete Councelling and admission process as per rules.
- (5) The AFRC will supervise all stages of counselling & admission process as per AFRC Act. and Hon'ble Court directives and hence will therefore be responsible to ensure that the counselling and admission have been conducted as per AFRC Act and Hon'ble Court Directives.
- (6) At the time of scrutiny and admission, finger prints of all fingers of both hands of the candidates will be taken and Concerned Dean/Principal will ensure it. Arrangement for the finger prints will be ensured by the Dean G.M.C. Bhopal
- (7) Candidates who are admitted a course and a college by Counselling shall report within the specified period and time to the Dean / Principal of the College concerned.
- (8) Process of admission will be done by the Admission Committee of the concerned college in which the seat has been allotted, at the Gandhi Medical College, Bhopal within the notified date and time, after allotment of the seat in the counselling. It is compulsory for the candidate to whom the seat has been allotted to be present in person at the time of admission process. Videography of the whole process of admission shall be done.

The list of admitted candidates will be displayed daily by all the colleges on the Notice Board at the place of admission as

- well as on the website of the concerned college. In addition to this the list of students admitted daily will also be made available to the Director Medical Education .M.P. and AFRC. on the same day
- (9) The claim of admission of a candidate who fails to join by the last date of joining or left after joining shall be forfeited and allotment /admission given to him/her shall be deemed to have been cancelled and will not be eligible to participate in the subsequent round of counseling again in the same year.
- (10) The candidates shall have to undergo TEST FOR MEDICAL FITNESS and shall be admitted only if they are found MEDICALLY FIT.

#### 21 (A) Cancellation of Admission:

(i) Cancellation of admission will mean, cancellation of admission of a candidate from the State Quota Seats due to any reason when the candidate vacates his/her seat willingly after having taken admission in any Private Medical/Dental College and such candidates will not participate in subsequent counseling.

It is clarified that if a candidate vacates a seat from one institution and takes admission in another institution within the State, this procedure would be termed as upgradation/reallotment, and this procedure will continue as was done earlier.

(ii) Following instructions are issued in respect of cancellation of admission in the Private Medical/Dental Colleges:

(a) The admitted candidate who desires to vacate his/her seat will have to submit his/her application complete in all respect with valid reasons to the Director Medical Education and Dean/Principal of the concerned Institution. The candidate will have to submit along with his/her application, the same photograph which was affixed during admission, copy of the allotment letter, and self attested copy of fee receipt. Applications complete as stated above will only be considered. Director Medical Education after taking a decision shall convey such decision to concerned Dean/Principal, concerned student, AFRC, MCI/DCI and concerned University. In cases where condition of seat leaving bond is applicable, the seat leaving bond amount shall have to be deposited, and then only such an application for cancellation of admission will be considered. The Director Medical Education will inform the concerned Dean/Principal regarding such cancellation of admission and



the latter will return the original documents to the concerned Student/Guardian authorized by the student. Admission cancellation slip will be generated by Director Medical Education online through MPOnline only. Cancellation of admission done by the Director Medical Education only will be considered valid.

**(b) Procedure for obtaining Admission Cancellation Slip :**

Director Medical Education will log-in through G2G on MPOnline portal whereafter the home page of Director Medical Education will be displayed. The link regarding admission cancellation will be displayed in the home page. On clicking this link a page will be displayed. On entering the students Roll No. of AIPMT-2015 and round of counseling and on submitting; the details regarding the candidate will be displayed. On clicking the option for cancellation and submitting by the Director Medical Education, the admission will be cancelled and admission cancellation slip will be generated, which can be obtained by the candidate from the Director Medical Education. The admission cancellation slip can also be obtained by the candidate through MPOnline portal by using his own Roll No. and password.

21 (B) Dean/Principal of concerned institution shall ensure submission of list regarding admitted students and students whose admission have been cancelled as below:-

(i) Dean/Principal of concerned college shall submit list of admitted students and students whose admission have been cancelled to the Director Medical Education in Annexure 15 through email and post/special messenger such that the information should necessarily reach Director Medical Education by 7:00 pm on the same date itself.

(ii) Concerned institutions shall ensure submission of list of admitted students and students whose admissions have been cancelled to the Director Medical Education through email and post/special messenger every day in Annexure 15 compulsorily.

(iii) Concerned institutions shall ensure display of complete list of admitted students and students whose admissions have been cancelled, at least for one complete year on institution website as per Annexure 15. The said list shall be sent through email and post/special messenger compulsorily to the following:

(a) Director Medical Education (dme12001@yahoo.com)

(b) AFRC (afrcmp@gmail.com)

(c) MPOnline (ashish.singh@mponline.gov.in)

(iv) Dean/Principal of concerned institution shall ensure submission of complete list of admitted students and students whose admissions have been cancelled to the Director Medical Education M.P., concerned University, AFRC, MPOnline,

MCI/DCI through email and post/special messenger within 7 days from the last date of admission as scheduled, in Annexure 15.

(v) If the concerned institution fails to display complete list of admitted students and students whose admissions have been cancelled for one year continuously or if the complete list of admitted students and students whose admissions have been cancelled is not sent to the Director Medical Education M.P., concerned University, AFRC, MPOnline, MCI/DCI through email and post/special messenger from time to time as stipulated or if the institution cancels the admissions of students on their own, then stringent action as per the prevailing rules will be taken against the owner/owners of the said institution, Dean/Principal presuming that they have intentionally and wilfully concealed the information in order to fill the State Quota vacant seats illegally.

Due to the sensitivity and importance of the admission process, students are advised to exercise due diligence before taking admission in order to avoid financial loss, as error on the part of the student may entail debarring the student from admission for a period of next three years in any Medical/Dental College against the State Quota Seats.

22. **Seat leaving Bond** - If any candidate takes admission in private medical/ Dental College and leaves his/her seat after last round of counselling and thereafter and there is no possibility of filling the seat by some other candidate in that case the candidate will have to deposit Rs. 5.00 lac (Rupees Five Lacs only) as penalty in the Directorate of Medical Education Bhopal. Such candidate will not be eligible for admission in State Autonomous and Private Medical /Dental Colleges for a further period of next three years.
23. The academic session shall commence as per the directives of Hon'ble Supreme court of India/Govt. of India Ministry of health and family welfare and the information will be displayed on the web-site of Director Medical Education M.P. [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in)

24. The detailed programme of the counselling will be displayed on DME web site [www. medicaleducation. mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) and any change in the programme shall also be uploaded in DME web site [www.medicaleducation. mp.gov.in](http://www.medicaleducation. mp.gov.in) It may be noted that no other notification will be made in any other manner hence candidate are advised to regularly check the DME Website.

25- Any student identified as having obtained admission after the last date of closure of admission, he/she shall be discharged from the course of study or any Medical /Dental qualification acquired by such student on such admission, the same shall not be treated as a recognized qualification for the purpose of MCI Act. 1956 or the Dentist Act. 1948, as the case may be.

26. EXPLANATION OF RULES :

The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. In case, any dispute related to the interpretation of these rules and amendments thereto, the decision of the State Government shall be final and binding on all concerned. The information in this regard will be available in the website of Director Medical Education and it will not be published separately.

Therefore it is advised to the candidate to be in continuous contact with

The Director Medical Education Website [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. S. KUMRE, Dy. Secy.

## मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय

क्र	नाम	कुल स्वीकृत सीट्स	स्टेट कोटा	डीमेट कोटा	एन0आर0 आई0
1	पीपुल्स कालेज ऑफ मेडिकल साइन्स एण्ड रिसर्च सेन्टर भानपुर भोपाल	150	63	64	23
2	श्री अरविन्दो इस्टाटयॅअ ऑफ मेडिकल साइन्स इन्दौर	150	63	64	23
3	आर0डी0 गार्डी मेडिकल कालेज उज्जैन	150	63	64	23
4	इन्डेक्स मेडिकल कालेज इन्दौर	150	63	64	23
5	एल0एन0मेडिकल कालेज, भोपाल	150	63	64	23
6	चिरायु मेडिकल कालेज, भोपाल	150	63	64	23
7.	आर0के0डी0एफ0 मेडिकल कालेज, भोपाल	150	63	64	23
	योग:—	1050	441	448	161

नोट :- 1. उपरोक्त संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा प्रवेश सत्र 2015-16 में प्रवेश हेतु अनुमति दिये जाने के पश्चात् ही काउंसलिंग हेतु शामिल किया जा सकेगा

2- सीटों की संख्या परिवर्तनीय है ।

3- किसी अन्य संस्था को भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

मध्यप्रदेश के निजी डेन्टल कालेज

क	नाम	सीट संख्या	स्टेट कोटा	डीमेट कोटा	एन0आर0 आई0
1	पीपुल्स डेन्टल अकादमी भानपुर भोपाल	100	42	43	15
2	पीपुल्स कालेज ऑफ डेन्टल साइन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर भानपुर भोपाल	100	42	43	15
3	श्री अरविन्दो इस्टीट्यूट ऑफ डेन्टल साइन्सेस इन्दौर	100	42	43	15
4	ऋषिराज कालेज ऑफ डेन्टल साइन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर भोपाल	100	42	43	15
5	गुरु गोविन्द सिंह कालेज ऑफ डेन्टल साइन्स बुरहानपुर	100	42	43	15
6	कालेज ऑफ डेन्टल साइन्स राउ इन्दौर	60	25	26	09
7	मार्डन डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर इन्दौर	100	42	43	15
8	हितकारणी डेन्टल कालेज जबलपुर	60	25	26	09
09	आर0के0डी00एफ डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च संन्टर भोपाल	100	42	43	15
10	मानसरोवर डेन्टल कालेज भोपाल	100	42	43	15
11	महाराणा प्रताप कालेज ऑफ डेंटल साइन्स, ग्वालियर	100	42	43	15
12	इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एज्युकेशन एण्ड एडवांस स्टीडीस, ग्वालियर	100	42	43	15
13.	भाभा कालेज ऑफ डेन्टल साइन्स,भोपाल	100	42	43	15
14.	इंडेक्स डेंटल कॉलेज, इन्दौर	100	42	43	15
	योग:-	1320	554	568	198

नोट :- उपरोक्त संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा प्रवेश सत्र 2015-16 में प्रवेश हेतु अनुमति दिये जाने के पश्चात् ही काउंसिलिंग हेतु शामिल किया जा सकेगा ।

2 - सीटों की संख्या परिवर्तनीय है ।